छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 20/09/2017

क्रमांक एफ 1–30/2017/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1263/22/चयन/17/G दिनांक 31.8.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	लाली शर्मा आ. श्री घनश्याम शर्मा, बगीचा के पीछे, सडक नं. 4 शिक्षक नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR-F
2	श्री आशीष कौशिक आ श्री नरेश कुमार कौशिक,उमेश किराना दुकान के पास,बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर,अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
3	श्री गौरव शर्मा आ.श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, c/o श्री बिसहत राम सिन्हा चोपड़ा पैलेस के पीछे जोन क्र. 03 सड़क नं. 07 न्यू आदर्श नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	UR
4	श्री रोहन अग्रवाल आ. श्री राजेंद्र अग्रवाल, आशियाना एच क्र.335 रामदयाल शर्मा कालोनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा जिला–बलौदाबाजार छ.ग. 4931118	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा,जिला–बलौदाबाजार	UR
5	विनीता जडाला पति श्री जड़ाला शंकरा स्वामी, जेठानी स्टोर्स सदर बाजार चांपा,जिला–जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर–चांपा	UR-F
6	श्री रेणु कुमार यादव आ. स्व श्री बेदुराम यादव, भारतीयम मून लाईट स्कूल के पास गोरखा कालोनी के पीछे न्यू शांतिनगर रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा–नेवरा कोहका	OBC /UR
7	श्री आशुतोष कौशिक आ. श्री नरेश कुमार कौशिक, उमेश किराना दुकान के पास बिलासपुर रोड,लक्ष्मीपुर,अंबिकापुर छ.ग. 497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	UR
8	श्री अनुज कुमार चौरसिया आ श्री राधेश्याम चौरसिया, (व्याख्याता) शास.आ.रा.उ.मा.वि. बैकुण्ठपुर, जिला – कोरिया छ.ग. 497335	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	OBC /UR
9	श्रीमती संध्या प्रसाद पति श्री बृजेश प्रसाद, क्वा. नं. ई/3 धरमपुरा नं. 3 जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	UR-F

.............2

Self Attested

10	नमिता कौर आ. श्री सतपाल सिंह गुरु नानक वार्ड चांदापुर अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. [illegible]	शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	[illegible]
11	श्री नितेश कुमार नाग आ.स्व.श्री हरिराम नाग द्वारा श्रीमती सुशीला देवी [illegible] महल के पास दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा छ.ग. [illegible]	शासकीय [illegible] महाविद्यालय [illegible] जिला-[illegible]	[illegible]
12	[illegible] आ. श्री [illegible] [illegible] नगर [illegible] के पास रायपुर छ.ग. 492008	नवीन शासकीय महाविद्यालय, [illegible] जिला [illegible]	[illegible]
13	श्री सजल कुमार सिंह आ. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर [illegible] सेक्टर-2 डी.डी.यू. नगर रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय [illegible] महाविद्यालय [illegible]	[illegible]
14	सुमन बघेल आ. श्री [illegible] लाल बघेल, [illegible] मंदिर के पास, वार्ड नं.3 [illegible] जिला [illegible]	शास.[illegible] पी.जी.महा.[illegible]	[illegible]
15	प्रीति रत्ना टोप्पो पति श्री राजा टोप्पो C/O श्री [illegible] रत्ना [illegible] के पीछे [illegible] दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय [illegible] स्नातकोत्तर महाविद्यालय, [illegible]	[illegible]
16	श्री अजय कुमार जैन आ. श्री अशोक कुमार जैन, [illegible]-23 सेक्टर-1 [illegible] कालोनी, [illegible] नगर रायपुर महादेवघाट रोड रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, जिला-[illegible]	[illegible]
17	श्री कृष्ण कुमार [illegible] आ. श्री विष्णु प्रसाद [illegible] स्टेट बैंक के पीछे वार्ड क्र. [illegible] लोरमी तह. लोरमी जिला-मुंगेली छ.ग. [illegible]	शासकीय महाविद्यालय, [illegible] जिला मुंगेली	OBC UR
18	दीपिका [illegible] आ.श्री [illegible] कुमार [illegible], C/O श्री [illegible] [illegible] एल-2 [illegible] नगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.[illegible] पी.जी. महाविद्यालय,[illegible]	OBC UR
19	श्री अमर सिंह साहू आ. श्री [illegible] राम साहू म.नं. 180 ग्राम [illegible] पो.[illegible] [illegible] कुरूद, थाना [illegible] जिला- धमतरी छ.ग. [illegible]	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC UR
20	श्रीमती स्वाती [illegible] तिवारी पति श्री जितेन्द्र तिवारी, [illegible] प्रियदर्शनी नगर दुर्गा मंदिर के पीछे बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय डॉ. [illegible] सिंह [illegible] महाविद्यालय, [illegible]	UR
21	सिम्मा साहू आ. श्री [illegible] साहू ग्राम [illegible] पो. [illegible] तह. [illegible] जिला-राजनांदगांव छ.ग. 491441	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, [illegible]	OBC UR
22	श्री विवेक शर्मा आ. श्री [illegible] लाल शर्मा, लालसिंह कालोनी [illegible] सीकर जिला- सीकर राजस्थान 332001	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय [illegible]	UR
23	श्री आनंद कुमार आ. श्री [illegible] तिवारी, [illegible] इलाहाबाद उ.प्र. 211008	शास.कन्या [illegible] महा. अम्बिकापुर जिला-सरगुजा	UR
24	श्री बलराम [illegible] आ. श्री [illegible] वार्ड क्र.38 [illegible] थाना-[illegible] जिला-रायपुर छ.ग. [illegible]	नवीन शासकीय महाविद्यालय, [illegible] जिला-सरगुजा	OBC UR

Self Attested
[illegible]

//5//

55	श्री शिवलाल सिंह श्याम आ. श्री छत्तरसिंह श्याम एलआईजी 1130 सेक्टर-7 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई जिला-कबीरधाम	ST
56	श्री मनोज जायसवाल आ. श्री डी.पी.जायसवाल, म. नं. 4R सड़क-72 सेक्टर-5 भिलाई नगर जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला-दुर्ग	OBC
57	मल्लिका वैश्य आ. श्री ध्यानचंद वैश्य, वार्ड-13 रेल्वे फाटक के पास चर्च गली जे.के.डी.पोस्ट मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया छ.ग. 497442	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान जिला -सूरजपुर	SC-F
58	श्री रमेश कुमार मौर्य आ.श्री मिठ्ठूलाल मौर्य, [illegible] रोड ग्राम पो. थाना- उदयपुर, जिला सरगुजा छ.ग. 497117	शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	OBC
59	आरती रानी भगत आ. श्री बिदेश्वर राम भगत, अधीक्षिका, आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास,कालीबाड़ी रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय प. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसींवा	ST-F
60	श्रीमती रश्मि यादव पति श्री राजेश यादव, ओ.पी. जिंदल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी क्वा.नं.एफ-9 [illegible] रोड रायगढ़ छ.ग.496001	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	OBC-F
61	श्री शरद कुमार देवांगन आ. श्री रामलाल देवांगन, [illegible] हाउस नागोराव शेष स्कूल के पास जूना बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.भवर सिंह पोर्ते महा.पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर	OBC
62	श्रीमती राजेश्वरी सोनी पति श्री घनश्याम सोनी, बी. टी.आई.रोड महासमुंद छ.ग. 493445	शास.महा.प्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महा.महासमुंद	OBC-F
63	श्री संजय कुमार देवांगन आ. श्री कतुराम ग्राम कुहिया, पो. अर्जुन्दा तह.गुण्डरदेही,जिला-बालोद छ.ग. 491225	शास.दिग्विजय पीजी महा. राजनांदगांव	OBC
64	श्री मोहन लाल वर्मा आ.श्री. गैदराम वर्मा, 51/1221 मजार के पास,सुभाष नगर कुकरीपारा, महामाया मंदिर वार्ड, रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला-जशपुर	OBC
65	मीरा टंडन आ.श्री जी.पी.टंडन, नागदौने कॉलोनी, व्यापार विहार रोड, तालापारा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़, जिला- जांजगीर-चांपा	SC
66	श्री जीवन राम सोरी आ श्री तुकाराम सोरी, ए-5 कैपीटल सिटी फेस-1 विधानसभा रोड सड्डू रायपुर छ.ग. 492014	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव, जिला-जशपुर	ST
67	श्री मोहित कुमार साव आ श्री प्रमोद कुमार साव एमआईजी- 2/12 मीनाक्षी नगर बोरसी रोड दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला- बालोद	OBC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नही होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प मे कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

..................6

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को स्थायी रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन होंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा करके से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

Attested

क्र. एफ 1-30/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 20/09/2017

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(8) कलेक्टर, जिला ________________ (छ.ग.)।
(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1263/22/चयन/17/G दिनांक 31.8.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... (छ.ग.)।
(15) संबंधित सर्वश्री .... कृपया आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Self Attested

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 17.2.87

क्रमांक एफ-1/ 208 /86/ए-1/38, म0प्र0 तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए-6-30-86-एक §1§ द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र§असाधारण§ में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5-6-86 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक प्राध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नियम 9§2§ के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक विषय भूगोल के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेशशैक्षणिक सेवा§महाविद्यालयीन शाखा§ में रूपये 700-40-1100-50-1300 असेसमेन्ट 50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परीविक्षा पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त उम्मीदवार का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया हैं।

2/- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती हैं। यदि उनका चरित्रसत्यापन प्रतिवेदन समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3/- उपरोक्त नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता स्थायी होने पर कार्यरत तदर्थ सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण में पात्र व्यक्तियों के नीचे मान्य की जावेगी।

4/- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

5/- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता हैं।

6/- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से ? वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि§मास्टर्स डिग्री§ के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि §यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है§ प्राप्त करनी होगी अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

निरन्तर...2 ...

7/- उपर्युक्त नियुक्त उम्मीदवार संबंधित प्राचार्य को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा । प्रमाण-पत्र सत्यापित पाये जाने पर ही यह नियुक्ति प्रभावशील होगी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

§ जी०पी० तिवारी §
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ०क्रमांक एफ 1/ 208 /86/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 17-2-87

प्रतिलिपि:-

1/- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित । प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अर्हता संबंधी प्रस्तुत जानकारी संलग्न की जा रही है । मूल प्रमाण-पत्रों से जानकारी सत्यापित करने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करावें एवं विभाग को तदनुसार सूचित करें ।

2/- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० भोपाल ।

3/- अतिरिक्त संचालक, 1, 2, एवं 3 महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, म०प्र. भोपाल ।

4/- समस्त अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० ।

5/- माननीय राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक ।

6/- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।

7/- सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

8/- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।

§ पी०एस० मरहास §
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शु०तिलकशर्मा/

:: परिशिष्ट ::

क्रमांक	नाम एवं पता	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहां पदांकन किया जाता है — हा0से0	स्नातक	स्नातकों0
	भूगोल				
१-	श्री जगेश्वर प्रसाद क्षिय (एससी) द्वारा पुत्र श्री गोविन्द राम जी ग्राम-खबारिसवा, भवरापारा, पो0आ0बालकोनगर (कोरबा) जिला- बिलासपुर (म0प्र0)	२-१-६०	शासकीय महाविद्यालय, डिण्डोरी — -	५२१ / ११००	५७२ एमफिल / १०००
२-	श्री गोरेलाल मनहर (एससी) मु0जंगल खण्ड ,७७/३ पो0 बांकीमोंगरा, जिला-बिलासपुर (म0प्र0)	१६-६-५७	शासकीय महाविद्यालय, अम्बिकापुर — ४०० / ८००	५५८ / ११००	५३७ एमफिल / १०००
३-	श्री सन्तराम कमलेश (एससी) पो0-चांपा (जवाहरपारा) तहसील चांपा जिला बिलासपुर	११-१-६३	शासकीय महाविद्यालय, महपुरा — -	५६८ / ११००	७६४ / १०००
४-	कु0 ग्रेस कुजूर (एसटी) द्वारा इमान तिर्की भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, मलीबगंज, भोपाल	८-५-६३	शासकीय कन्या महाविद्यालय, शिवपुरी — -	५७५ / ११००	६५६ / १०००
५-	श्री राजेन्द्र कुमार गोंटिया (एसटी) शिक्षक शास0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुआ बिछिया (मण्डला) म0प्र0)	८-८-५६	शासकीय बालक महाविद्यालय, नैनपुर — -	५७३ / १२००	६३७ / १०००

१- नियुक्त प्रत्याशियों को इस वर्ष किसी भी अवकाश की पात्रता नहीं होगी तथा स्थान परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

२- नियुक्त प्रत्याशियों द्वारा अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में यदि दिनांक 25/2/87 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वत: निरस्त समझी जावेगी तथा उनके स्थान पर दूसरे प्रत्याशी को नियुक्त किया जा सकेगा ।

(जी पी तिवारी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
6/6/2

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

क्रमांक 267 /उशिं/अति.सं-2/38-1/91 भोपाल, दिनांक 15-XI-1991

क्रमांक एफ-1/207/86/र-1/38, तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम 1986 तथा सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्र. एफ-ए-6-30-86एक(1)(1) द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5.8.86 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नियम 9(2) के अंतर्गत सीधी भर्ती के भूगोल विषय के परिवीक्षाधीन निम्न सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा उनके समक्ष अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है। इनकी सापेक्षिक वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जावेगी।

क्रमांक	सहायक प्राध्यापक का नाम	परिवीक्षा समाप्ति की दिनांक	महाविद्यालय का नाम
1.	श्री जागेश्वर प्रसाद दिव्य	26.2.89	शा०मह० डिंडोरी
2.	श्री भारत सिंह मरकाम	14.7.89	शा०मह० डिंडोरी
3.	श्री राजेन्द्र सिंह गोंटिया	19.4.89	शा०मह० नैनपुर
4.	श्री नारायण सिंह नेटी	[illegible]	शा०मह० डोंगरगढ़
5.	कुश्री ग्रेस कुजूर	24.2.89	शा०कन्या शिवपुरी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्र० 267 /उशिसं/अति.सं-2/38-1/91 भोपाल, दिनांक 15-XI-1991

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर मध्य प्रदेश.
2. आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल मध्य प्रदेश.
3. समस्त क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश.
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय.
5. संबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13 सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/131/93/स-1/38 (भूगोल)-लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक भूगोल के पद पर वेतनमान रूपये 2200-75-2800-1,00-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

क्र०	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1.	2.	3.
1.	डॉ० कु० प्रगति हिंगे (आयाती सहायक प्राध्यापक) 12, गणेश कालोनी इंदौर-452004	शा०कला/वाणिज्य महा० इंदौर।
2.	कु० आभा वार्ष्णेय द्वारा-ब्रजकिशोर वार्ष्णेय, विक्तंतर, हरार (ग्वालियर)।	शा०स्नातकोत्तर महा० शिवपुरी। (प्राध्यापक के रिक्त पद के विरु.)
3.	श्री संजय कुमार दास द्वारा-जनार्दन प्रसाद, पो० बेगूसराय, हेमरोड़ जिला, बेगूसराय (बिहार)।	शा०महा० डुरिया (राजनांदगांव)।
4.	कु० प्रज्ञा केवलरमानी 3 स्टाफ, क०मीरा कन्या महा० उदयपुर (राजस्थान)।	शा०महा०सैलाना (रतलाम)।
5.	श्री धर्मवीरसिंह द्वारा-श्री यशवंतसिंह 23/47, 107 के इन्द्रपुरी बादशाहीरोड, अल्लापुर (इलाहाबाद)।	शा०स्नातकोत्तर महा० शहडोल।
6.	श्री अरुण कुमार सिंह 74, ग्वायर हाल, दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली-7।	शा०महा०बिरसिंहपुरपाली (शहडोल)।
7.	डॉ० कु० रेखा वर्मा आयाती सहायक प्राध्यापक 517, संगीत मोहल्ला मऊ छावनी इंदौर।	शा०महा०महू (इंदौर)।

.....2

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13 सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/131/93/स-1/38 (भूगोल)-लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक भूगोल के पद पर वेतनमान रूपये 2200-75-2800-1,00-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है ।
1.	2.	3.
1.	डॉ0 कु0प्रगति हिंगे (आयाती सहायक प्राध्यापक) 12, गणेश कालोनी इंदौर-452004	शा0कला/वाणिज्य महा0 इंदौर ।
2.	कु0आभा वार्ष्णेय द्वारा-ब्रजकिशोर वार्ष्णेय, विक्रमसंतर, मुरार (ग्वालियर) ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 शिवपुरी । (प्राध्यापक के रिक्त पद के विरूद्ध)
3.	श्री संजय कुमार दास द्वारा--जनार्दन प्रसाद, पो0 बेगूसराय, हेमशरोड़ जिला, बेगूसराय (बिहार) ।	शा0महा0 डुरिया (राजनांदगांव) ।
4.	सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी 3 स्टाफ, क0म0रीरा कन्या महा0 उदयपुर (राजस्थान) ।	शा0महा0सैलाना (रतलाम) ।
5.	श्री धर्मवीरसिंह द्वारा-श्री यशवंतसिंह 23/47, 107 के इन्द्रपुरी बादरवारारोड, अल्लापुर (इलाहाबाद) ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 शहडोल ।
6.	श्री अरूण कुमार सिंह 74, ग्वायर हाल, दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली-7 ।	शा0महा0विरसिंहपुरपाली (शहडोल) ।
7.	डॉ0 कु0 रेखा वर्मा आयाती सहायक प्राध्यापक 517, संगीत मोहल्ला मऊ छावनी इंदौर ।	शा0महा0मह (इंदौर) ।

.....2

33\. श्री मनोज कुमार सिंह — ग्रा०-ह०पो०सिंहवाड़ा [गोधी] ।
[illegible] उत्तर [illegible],
[illegible] [illegible]
[illegible] ।

34\. श्री [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible]
[illegible] जिला-[illegible] ।

35\. श्री [illegible] कुमार [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible]
[illegible] सहित [illegible]
द्वारा-श्री [illegible]
[illegible]

///अनुसूचित जाति///

1\. श्री [illegible] कुमार [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible] जिला-[illegible] ।

2\. श्री [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible] सहित [illegible]
[illegible],
[illegible] जिला-[illegible] ।

3\. श्री [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible]
जिला-[illegible] ।

4\. श्री [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible] सहित [illegible]
[illegible] ।
[illegible] ।

5\. [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
द्वारा-श्री [illegible]
[illegible] ।

6\. श्री [illegible] कुमार [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible]
जिला [illegible] ।

7\. श्री [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible],
[illegible] ।

8\. [illegible] — ग्रा०-ह०पो० [illegible] ।
[illegible] ।

....5

// 2 //

// [illegible] //

1. श्री मोहम्मद [illegible] — स्था० [illegible] (होशंगाबाद) ।
[illegible]
नई [illegible] के पास [illegible]
[illegible] होशंगाबाद ।
2. कु० [illegible]
1032 [illegible]
[illegible] रोड़ [illegible]
3. कु० [illegible] — स्था० [illegible] (भिण्ड) ।
[illegible]
[illegible] होशंगाबाद ।

2/ नियुक्त प्रत्याशी को [illegible] चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा छायाप्रतियाँ सत्यापित करनी होंगी । सत्यापन के पश्चात मूल-प्रमाण-पत्र वापिस कर दिया जावेगा ।

5/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 30 सितंबर, 93 तक स्वस्थानुसार पद कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा । [illegible] अभ्यर्थी [illegible] उपस्थिति के समय [illegible] प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 13-9-93
([illegible] त्रिवेदी)
उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्र० एफ-[illegible]/33/(म्हो०)   भोपाल, दिनांक 13 सितंबर, 93

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर म०प्र० की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० भोपाल ।
3. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म०प्र०
5. संबंधित प्राचार्य, शा०[illegible]
6. संबंधित पत्र ।

(हस्ताक्षर) 13-9-93
उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

लगातार/.....

क्रमांक (?) दिनांक ... 89

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 1989

क्रमांक 3679/3259/30-1/89 संलग्न परिशिष्ट में अंकित [illegible] की मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्च शिक्षा) में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक रुपये 2200-75-2800-100-4000 के यू०जी०सी० वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांकन उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा इसके बदले में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महाविद्यालय में यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण करना है।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7/ पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता (यदि अभी कहीं सेवा में हैं, तो) द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर०के० माथुर) 8-11-89
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

// 2 //

पृ.क्र. 3600/एफ-3259/38-1/99 भोपाल, दिनांक 8/11/1989.

प्रतिलिपि :-

1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल ।

2/ समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभागीय [illegible] लय म.प्र. ।

3/ संबंधित [illegible] प्रमाण पत्रों [illegible] प्राचार्य से प्राप्त [illegible] के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण [illegible]

[illegible] विशेष सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी मध्यप्रदेश ।

5/ संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

अ- नियुक्त प्रत्याशी की जन्म तिथि, पी.एच.डी./एम. फिल., स्नातकोत्तर, स्नातक, हायर सेकण्डरी के मूल प्रमाण पत्रों/अंक सूचियों एवं म0प्र0 के शासकीय महाविद्यालयों के अध्ययन [illegible] के मूल प्रमाण पत्र सत्यापित कर कार्यभार ग्रहण करायें । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विकलांग प्रत्याशी के मूल प्रमाण पत्र भी सत्यापित करायें । बाद सत्यापन निम्न प्रपत्र में संबंधित सहायक प्राध्यापक का सम्पूर्ण विवरण अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रेषित करें :-

1- नाम 2- जन्म तिथि 3- [illegible] जिसमें नियुक्ति दी गई 4- वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ विकलांग/भूत पूर्व सैनिक (5- शैक्षणिक योग्यता-हायर सेकण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर का पूर्णांक प्राप्तांक एवं प्रतिशत (दशमलव के दो अंक तक (6- एम. फिल./पी.एच.डी. का परिणाम नोटिफिकेशन विवरण 7- ग्रीन कार्ड धारक/विधवा होने का प्रमाण पत्र ।

ब- प्राचार्य यह भी सुनिश्चित करलें कि प्रत्याशी ने स्नातकोत्तर उपाधि/शोध उपाधि उसी विषय में प्राप्त की है, जिसमें उसे नियुक्ति दी गई है, तथा एम. फिल./पी.एच.डी. विधिवत है ।

8.11.89

(आर.के.माथुर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

113/ Hi 4

1 2	3	4
28. श्री एस.पी.थापा (विकलांग)	टीचर आफ फिजिक्स डेली कालेज इन्दौर-452001	शासकीय महाविद्यालय, मनावर (धार)
29. श्री आनन्द शर्मा	द्वारा-सुखदेव झा, कोतमा रोड आमलाई, पो., पेपर मिल्स, शहडोल	शासकीय महावि0 सीधी

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: :=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: :=::=

विषय :- भूगोल

1. श्री अरुण कुमार सिंह	शिवाजी इंटर मिडिएट कालेज, पो. खेहरखुर्द इलाहाबाद,	शासकीय महाविद्यालय, पखांजूर (बस्तर)
2. डॉ. सोभा गुप्ता	ई-4,/123 अरेरा कालोनी भोपाल	शासकीय महाविद्यालय, गुना
3. श्री प्रभुदयाल राजपूत	ग्राम व पोस्ट-छोरसिल पन्डा (सागर)-470337	शासकीय महाविद्यालय, राहतगढ़ (सागर)
4. ~~कु0 सुमिता दास~~	~~... के पीछे~~ जरहा भाटा (बिलासपुर)	~~शासकीय महाविद्यालय,~~ जशपुरनगर (रायगढ़)
5. कु0 संगीता चौबे	कार्यालय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर	शासकीय कन्या महावि-द्यालय, बिलासपुर
6. सुश्री सुधा कपूर	ई-3/जे.एम.आई.जी.36 अरेरा कालोनी, भोपाल	शासकीय महाविद्यालय, महू (इन्दौर)
7. श्रीमती अंजलिप्रवीण मिलय	75 एल.आई.जी. II इंदिरा नगर, उज्जैन	शासकीय महाविद्यालय, पेटलावद (झाबुआ)
8. श्री अशोककुमार सिंह	सिविल लाईन बोधाबाग रोड, रीवा	शासकीय महाविद्यालय, केवारा (सतना)
9. कु0 पूर्णिमा पाण्डे	सी./30, विद्या उपनगर बिलासपुर-495001	शासकीय महाविद्यालय, रतनपुर (बिलासपुर)
10. श्री बेतालसिंह राठौर	द्वारा-के.एस.राठौर पी.आ.असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट चम्बल संभाग मुरैना	शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ (गुना)

निरन्तर----

1	2	3	4
11	श्री [illegible] सिंह	द्वारा-डॉ०[illegible], 41, [illegible] कालोनी, [illegible], ग्वालियर,	शास० महाविद्यालय, आरोन, गुना,
12	श्री [illegible]	[illegible] कृषि [illegible] केन्द्र, [illegible], [illegible], धार, 454[illegible].	शास० महाविद्यालय, [illegible] खरगोन,
13	श्री [illegible] सिंह	द्वारा-आर०[illegible], [illegible] कालोनी, [illegible] के पास, [illegible], मुरैना,	शास० महाविद्यालय, अजयगढ़, पन्ना,
14	श्री [illegible] सिंह तोमर	द्वारा-[illegible] खंडेलकर, प्राचार्य, शास०उ०मा०विद्यालय, [illegible], रायगढ़,	शास०महाविद्यालय, कुसमी, सरगुजा,
15	श्रीमती [illegible] राय	द्वारा- [illegible] राय, [illegible], [illegible] टेक्नोलाजी डिपार्टमेन्ट, [illegible], जबलपुर, 482002.	शास० महाविद्यालय, [illegible] रायपुर,
16	कु० [illegible]	द्वारा-[illegible], 42/27, [illegible] स्टेडियम के पास, भोपाल,	शास० महाविद्यालय, सीहोर,
17	श्रीमती रंजना शर्मा	द्वारा- रवीन्द्र शर्मा, [illegible] चौक, दुर्ग,	शास० महाविद्यालय, अर्जुंदा, (दुर्ग)
18	कु० ज्योत्स्ना शर्मा,	[illegible] मार्ग, [illegible], रायपुर, 492001.	शास० कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़,
19	कु० [illegible] सिंह	गीतांजली [illegible] महिला छात्रावास, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल, 462002.	शास० विज्ञान महावि०, रतलाम,
20	श्री [illegible]	[illegible], 1286, [illegible], जबलपुर,	शास० महाविद्यालय, पथरिया, दमोह,
21	कु० [illegible]	27, [illegible], [illegible],	शास० महाविद्यालय, पुष्पराजगढ़ (शहडोल)
22	श्री अनिल कुमार [illegible]	द्वारा-[illegible], [illegible], [illegible] रोड, [illegible], दुर्ग, 491[illegible].	शास० महाविद्यालय, [illegible]घाट, [illegible],
23	कु० [illegible]	एच.आई.जी. 50, [illegible] कालोनी, [illegible] रोड, भोपाल,	शास० महाविद्यालय, [illegible],

1	2	3	4
24.	श्री राजेन्द्र कुमार पाडोती (अ. ज. जा.)	रक्षित एयरसो केन्द्र, जगदलपुर, बस्तर,	शास0 महाविद्यालय, चरामा (बस्तर)
25.	सुश्री नीता सोनकुसरे (अ. ज. जा.)	अमाँ पारा चौक तालाब किनारे, रायपुर, 492001.	शास0 महाविद्यालय, बैशालीनगर, (दुर्ग)
26.	श्री कौशल कुमार कोसोमा (अ. ज. जा.)	बरघान, पो0-अर्जुन्दा, दुर्ग,	शास0 महाविद्यालय, पाटन, (दुर्ग)
27.	श्री बाबू सिंह जमोद (अ. ज. जा.)	एआई परिक्षा पूर्व प्रकाशन केंद्र डॉ0 अम्बेडकर हॉस्टल, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	शास0 महाविद्यालय, नवागढ़, (दुर्ग)
28.	श्री गोपाल सिंह वर्मा (अ. ज. जा.)	स्पोर्ट टीचर, आनन्द विद्या मन्दिर, सुजालपुर, साजापुर, 465331.	शास0 महाविद्यालय, खिलचीपुर (राजगढ़)
29.	सुश्री निर्मला खल्खो (अ. ज. जा.)	द्वारा-के0 खल्खो, स्टोर सेक्शन, जी. आई. एफ. जबलपुर,	शास0 महाविद्यालय, भिण्ड,
30.	श्री कैलाश सिंह नेताम (अ. ज. जा.)	ग्राम- गोजावर, पो0- गोजावर, तहसील-मजोली, जिला- सीधी	शास0 महाविद्यालय, बरका, (सीधी)
31.	[illegible] दल्लूलाल [illegible] (विकलांग)	[illegible] य, अर्जुनी, वाया पालारी, जिला-रायपुर,	[illegible] (रायपुर)
32.	श्री कुसुराम मतावले (अ. जा.)	ग्राम एवं पो0-तारोघाट वाया किनेश्वर, जिला- रायपुर, तहसील राजिम	शास0 महाविद्यालय, पत्थरिया (बिलासपुर)
33.	श्री जैत्रेन्द्र कुमार बारले (अ. जा.)	ग्राम- भाथागन, पो0बालोदा बाजार, रायपुर, 493332.	शास0 कन्या महाविद्यालय, कांकेर (बस्तर)
34.	श्री करमान खातकर (अ. जा.)	शास0 उ0मा0विद्यालय, कटगी, रायपुर, 493344.	शास0 महाविद्यालय, मैरवा (बिलासपुर)

निरन्तर-------

2	3	4
35. श्री लेखराम डोंगरा (अ. जा.)	ग्राम-मुन्द्रा, पो0-राहुद, दुर्ग, 491223.	शास0 महाविद्यालय, लांजी, (बालाघाट)
36. श्रीमती अर्चना गढ़वाल (अ. जा.)	सी-क्यूसी-9, रामनिकेतन चाल, सोंपतरोड, सरकन्डा, बिलासपुर,	शास0 महाविद्यालय, मालखरौदा (बिलासपुर)
37. श्री नरेन्द्र कुमार सिंकरे (अ. जा.)	ग्राम-लामान्टोनभाठा, पो0-मुसरा, डोंगरगढ़, (राजनांदगांव),	शास0 महाविद्यालय, लालबहादुर नगर, राजनन्दगांव,

8.11.89

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कांकेर–(जिला–बस्तर)

क्रमांक। 97 ।८४ कांकेर, दिनांक १४–१–८४ ।

नियुक्ति आदेश

म०प्र० शासन शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ–१।८३।७० ई–५।२०।८०, भोपाल दिनांक २३–६–८२ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कुमारी बी० श्री देवी को दिनांक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्णतया अस्थायी तदर्थ रूप से व्याख्याता हिन्दी के रिक्त व्याख्याता पद पर म०प्र० महाविद्यालयीन शिक्षा सेवा में रु० ७००–४०–११००–५०–१३००–ईबी–५०–१६००।– के वेतनमान में रु० ७००।– के न्यूनतम वेतनमान पर शासकीय महाविद्यालय कोण्डागांव में नियुक्त किया जाता है, यह नियुक्ति दिनांक ३०–४–८४ तक के लिए की जाती है। यह अस्थायी नियुक्ति शासन द्वारा नियुक्त नियमित व्याख्याता द्वारा पदभार ग्रहण करने पर या किसी नियुक्त व्याख्याता के अवकाश समाप्ति के पश्चात या स्थानान्तरण पर या टीचर फैलोशिप से वापस आने पर कार्य ग्रहण करने पर जो भी पहले हो स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

सही/–
(डा० एस० आर० एन० द्विवेदी)
प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, कांकेर (म०प्र०)

पृ० क्रमांक। 98 ।८४ कांकेर दिनांक १४–१–८४ ।

प्रतिलिपि:–
१) अवर सचिव, म० प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
२) उपकोषाधिकारी, कांकेर।
३) कुमारी बी० श्रीदेवी, तदर्थ व्याख्याता को सूचनार्थ।
४) संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, भोपाल।
५) प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव

14.1.84
(डा० एस० आर० एन० द्विवेदी)
प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, कांकेर (म०प्र०)

महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय
मध्य प्रदेश

/3598 /अशिसं/स्थारात/85,

भोपाल, दिनांक 15-10-85

प्राचार्य,
शासकीय संस्कृत महाविद्यालय,
रायपुर (मध्य प्रदेश)

तदर्थ सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति ।
—0—

~~ऽऽऽ~~/फालन आउट व्यक्ति ~~श्री~~/श्रीमती/~~कुमारी~~ चन्द्रिका साहू को विषय हिन्दी में तदर्थ सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति है ।

नियुक्ति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि इनकी शैक्षणिक अर्हताएं नवीनतम वि. अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित एकताओं के अनुरूप है । (जो पूर्व में दे जा चुकी है) यदि अभिलेखों के प्रमाणीकरण के समय आप यह पाये कि इनकी निम्नानुसार नहीं है तो आप उन्हें पुनः संचालनालय भेजें ।

इनके स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 52.5 प्रतिशत अंक हो ।
इनकी स्नातक परीक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी के अंक हो ।
इनका गुणानुक्रम निर्धारित करते समय एम0फिल0के लिये 3 प्रतिशत तथा एक वर्ष की सेवा के लिये 3 प्रतिशत का अधिभार और हर अगले वर्ष की सेवा के लिये 2 प्रतिशत का अधिभार प्रदान किया गया है ।

जो व्यक्ति पी0एच0डी0की उपाधि प्राप्त हो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देना है ।

महाविद्यालयीन शिक्षा आयुक्त के आदेशानुसार

(डॉ0एस0सी0आर्य) 14.10.85
संयुक्त संचालक
महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल दिनांक

/3598 /अशिसं/स्थारात/85,

प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, विषय तदर्थ
श्री/श्रीमती/कु0/डॉ0/
सहायक प्राध्यापक की सेवाएं समाप्त करें ।
संबन्धित अधिकारी, श्रीमती चन्द्रिका साहू शासकीय महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी की ओर सूचनार्थ ।

(डॉ0एस0सी0आर्य)
संयुक्त संचालक
महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

– – ० – –

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 11/09/2017

क्रमांक एफ 1–34/2017/38–1 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.8.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) को महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के पद पर नियुक्ति कर पदस्थापना आदेश जारी किया गया है।

2– राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सहायक प्राध्यापको के उक्त पदस्थापना आदेश में संशोधन करते हुये कॉलम नम्बर–4 में दर्शाये अनुसार स्थान में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान पदस्थापना	संशोधित पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री उग्रेन कुमार साहू आ श्री लक्ष्मण प्रसाद ग्राम कोलिहा पो. चकरभाठा,तह.जिला–मुंगेली छ.ग. 495334 स.क.–38	नवीन शास.महा. भैरमगढ़ जिला बीजापुर	शासकीय शहीद वेंकट राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीजापुर
2	श्री गजेन्द्र कुमार कश्यप आ स्व श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप ग्राम पो लिटिया सेमरिया थाना बोरी तह. धमधा जिला दुर्ग छ.ग. 491001 स.क.–25	शास.इंद्रावती महा. भोपालपट्नम	शास.महा. थानखम्हरिया जिला बेमेतरा
3	श्री दिनेश प्रताप सिंह पैंकरा आ श्री रायसिंह पैंकरा ग्राम ब्रम्हनी पो.हरौद बाजार थाना तह.कसडोल जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493335स.क.–54	शास.महा. चांपा जिला जांजगीर	शासकीय महाविद्यालय, सारंगढ जिला रायगढ़
4	श्रीमती हेमपुष्पा नायक पति श्री नवनीत नायक म.नं. 8 गुरू विहार कॉलोनी मुक्तिधाम चौक के पास नया सरकंडा,बिलासपुर छ.ग. 495001 क.–34	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	शास.टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर
5	श्री विनय कुमार रानमानी आ श्री साधु राई ग्राम गराईबंध पो.थाना फरसाबहार तह. कांसाबेल जिला-- जशपुर छ.ग. 496242 स.क.–58	शास.रा.गां.पीजी महा. अम्बिकापुर	शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर जिला सूरजपुर
6	श्री ओंकार प्रसाद साहू आ स्व श्री केशवराम साहू आदर्श नगर वार्ड 30 महासमुंद छ.ग. 493445 स.क.33	शास.महा. सोनहत	शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड जिला–धमतरी
7	श्री विनय कुमार देवांगन आ श्री कोदूराम देवांगन म.क्र.6 वार्ड डोंगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग.494226स.क.–09	नवीन शास.महा. फरसगांव	शास.बाबू छोटेलाल पी.जी.महावि.धमतरी

3– शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

.........................2

प्रति,

आदरणीय प्राचार्य महोदय,
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
धमतरी, जिला धमतरी (छ0ग0) .

विषयः— सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर उपस्थिति विषयक।

संदर्भः— छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–34/2017/38–1 , नया रायपुर, दिनांक 29.08.2017 एवम् संशोधित आदेश क्रमांक एफ 1–34/2017/38–1 , नया रायपुर, दिनांक 11.09.2017

मान्यवर,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि मैं विनय कुमार देवांगन आ. श्री कोदूराम देवांगन , म.क. 6 वार्ड डोंगरीपारा श्री हनुमान मंदिर कोण्डागांव तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0) का निवासी हूँ।

2. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के संदर्भित आदेश दिनांक 29.08.2017 के द्वारा सरल क्रमांक–9 में मेरी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर नवीन शासकीय महाविद्यालय , फरसगांव में हुई थी। जिसे संशोधित कर संदर्भित आदेश दिनांक 11.09.2017 के द्वारा शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी जिला धमतरी (छ0ग0) में पदस्थ किया गया है।

3. उक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में आज दिनांक 15.09.2017 को पूर्वान्ह अपने कर्त्तव्य पर उपस्थिति हुआ हूँ।

अतः यह उपस्थिति प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

दिनांक — 15.09.2017

संलग्नः— 1. नियुक्ति आदेश एवं संशोधित आदेश की छायाप्रति।
2. शपथ –पत्र।
3. जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।
4. अनापत्ति प्रमाण–पत्र, त्याग पत्र ।

प्रार्थी
विनय देवांगन
(विनय कुमार देवांगन)
आ. श्री कोदूराम देवांगन
म.क. 6 वार्ड डोंगरीपारा श्री हनुमान मंदिर
कोण्डागांव

15.09.17

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.in
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com
दूरभाष – 07722-238933
फैक्स – 07722-237933

NAAC GRADE-'B'

क्रमांक / .... / स्था. / 2017 धमतरी, दिनांक 21 / 09 / 2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक सी–30, व्दितीय एवं तृतीय तल
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषयः– सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने विषयक।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश कमांक एफ 1–34 / 2017 / 38–1 नया रायपुर ,दिनांक 29.08.2017 एवं संशोधित आदेश कमांक एफ 1–34 / 2017 / 38–1, नया रायपुर ,दिनांक 11.09.2017

****

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में लेख है कि इस महाविद्यालय में निम्न सहायक प्राध्यापक ने निम्न तिथियों को पूर्वान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया है सूचनार्थ प्रेषित :–

क.	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदभार ग्रहण की तिथि
01	विनय कुमार देवांगन	हिन्दी	15.09.2017

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग)

पृ.कमांक / 1037 / स्था. / 2017 धमतरी, दिनांक 21 / 09 / 2017

प्रतिलिपिः–

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी छ.ग.शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
04. महालेखाकार छ.ग.रायपुर।
05. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर को सूचनार्थ।
06. कलेक्टर जिला–धमतरी को सूचनार्थ।
07. जिला कोषालय अधिकारी जिला–धमतरी को सूचनार्थ।
08. संबंधित सहायक प्राध्याकों को सूचनार्थ।
09. स्थापना शाखा / लेखा शाखा।
10. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

//2//

एफ 1–34/2017/38–1 नया रायपुर, दिनांक 11/09/2017

प्रतिलिपि :–

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(2) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(3) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(4) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।

(5) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(6) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(7) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)

(8) संबंधित प्राचार्य, ...

(9) जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... (छ.ग.)।

(10) संबंधित सर्वश्री..

....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर
— — 0 — —
:: आदेश ::

पंजीकृत उ/कु से

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3961 / 3053/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 891/ 95 /2010/01/चयन, दिनांक 04 /08/2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रुप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

अनु.क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	कल्पना मिश्रा द्वारा श्री टी.पी. मिश्रा, गोडवाना भवन के पास न्यू सुभाष नगर टिकरापारा, रायपुर, पिन. कोड 492001	शासकीय महाविद्यालय थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा	अनारक्षित महिला
2	सुशील कुमार तिवारी शासकीय हाईस्कूल बचरवार पों. बचरवार, तहसिल-पेन्ड्रा, जिला-बिलासपुर, पिन. कोड 495119	शासकीय लरंग साय महाविद्यालय, रामानुंजगंज, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित
3	डॉ. द्वारिका प्रसाद चन्द्रवंशी ग्रा.पो. सैहामालगी, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम (कवर्धा) छ.ग., पिन. कोड 491559	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई, जिला- कवर्धा	अनारक्षित
4	दीपक सिंह क्यू 8 , सरगंगा नाथ झॉ छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उ.प्र.पिन. कोड 211002	शासकीय महाविद्यालय, खडगवा, जिला-कोरिया	अनारक्षित
5	डॉ. श्रीमती आस्था तिवारी द्वारा डॉ. प्रेम दुबे समीप महाराष्ट भवन चौबे कालोनी, पंचवटी लेन, रायपुर पिन. कोड 492001	शासकीय महाविद्यालय, बेरला, जिला -बेमेतरा	अनारक्षित महिला
6	पुनीत कुमार राय ग्राम विधियानी, पो. खलिलाबाद, जिला- संत कबीर नगर, उ.प्र. पिन. कोड 272175	शासकीय महाविद्यालय, शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित
7	कु. वंदना पाण्डेय विद्या निकेतन के पास, चांपा रोड, चंदनियापारा, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन. कोड 495668	शासकीय छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर	अनारक्षित महिला
8	नीतेश कुमार अग्रवाल गांधी मोहल्ला, परसिया, जिला-छिदवाड़ा (म.प्र.)पिन. कोड 480441	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा, कबीरधाम	अनारक्षित

निरंतर 2

12/11/12

Hindi A.P.

	[illegible] क्वाटर नं. 462, सेक्टर-7 पो. आ. रविग्राम, जिला- रायपुर, पिन. कोड 492001	शासकीय [illegible] मेधावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी, जिला-धमतरी	[illegible] महिला
70	मीनाक्षी सांडिल्य क्वाट नं. 37/6/ए बालको नगर, जिला- कोरबा (छ.ग.), 495684	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़, जिला-रायगढ़	अनुसूचित जाति महिला
71	डॉ. कुसुम माधुरी टोप्पो द्वारा अजीत कुमार टोप्पो गंगानगर, सेक्टर-2, मंगला रोड, बिलासपुर, पिन. कोड 495001	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया	अनुसूचित जनजाति महिला
72	श्रवण कुमार घुमरा ग्राम-शहकट्टा, पो. आसुलखार, तह-भनुप्रतापुर,जिला-कांकेर, 494669	शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल, जिला-कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति
73	जुगल किशोर कुजूर मकान नं. 232, पुराना माइन्स भटगांव, कॉलरी, जिला-सरगुजा (छ.ग.), पिन. कोड 497235	शासकीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	अनुसूचित जनजाति
74	आरती ध्रुव द्वारा श्री प्रदीप मिश्र, एम.जी.आई.-579, से.-2, गोलचौक रोड, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन. कोड 492010	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार	अनुसूचित जनजाति महिला
75	खेमलाल रावटे ग्राम व पोस्ट-घोटिया, थाना-डौण्डी, तह-बालोद, जिला-दुर्ग, पिन. कोड 491228	शासकीय महाविद्यालय, गुरूर, जिला-बालोद	अनुसूचित जनजाति
76	खेदूराम सत्यार्थी भारती ग्राम व पोस्ट-खरेगा, तह व जिला- धमतरी पिन. कोड 493773	शासकीय एन.सी.जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद	अनुसूचित जाति विकलांग
77	श्रीमती संगीता रंगारी द्वारा ताराचन्द्र बोरकर, रेलवे हास्पिटल के पीछे, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, पिन. कोड 491445	शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला, जिला- राजनांदगांव	अनुसूचित जाति महिला
78	श्रीमती रोसमीना एक्का द्वारा श्री आर.पी. कुजूर (सहा. प्राध्यापक) कृषि महाविद्यालय इ.गा.कृ. वि.वि., कृषक नगर, रायपुर पिन. कोड 492006	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय सिमगा, जिला-बलौदाबाजार	अनुसूचित जनजाति महिला
79	लवन सिंह कवर द्वारा श्री एस.आर. कवर, क्वाटर नं. 935/ए, सेक्टर-4, बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)पिन. कोड 495684	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, (कवर्धा), जिला-कबीरधाम	अनुसूचित जाति
80	लक्ष्मेश्वरी द्वारा कंचन लाल कुर्रे, कबीरचौक उड़ीसा रोड, अम्बेडकर नगर, डीपापारा, रायगढ़-496001	शासकीय महाविद्यालय, तमनार, जिला-रायगढ़	अनुसूचित जाति महिला
81	टीकेश्वर सिंह मरकाम ग्राम व पो.आ. जिड़ार (टिकरापारा) थाना व तह-मैनपुर, जिला- रायपुर पिन. कोड 493889	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद	अनुसूचित जनजाति
82	पीताम्बर सिदार मु.शंकरपाली, पो.आ. बधौद, व्हाया - चंद्रपुर, तह -डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा , पिन. कोड 495692	शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	अनुसूचित जनजाति

Hindi A.P.

83	श्रीबच्चन भोय ग्राम –आमापाली, पो–ओरछा (कोडातराई) तह–पुसौर, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)– 496100	संत गहिरा गुरू रामेश्वर शासकीय महाविद्यालय, लैलूंगा जिला–रायगढ़	अनुसूचित जनजाति
84	एस. कुमार गौर ग्राम व पो. बिटाल, तह–बालोद, व्हाया दल्लीराजहरा, जिला– दुर्ग पिन. कोड 491228	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया, जिला–राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें

Hindi A.P.

12/11/12

[illegible] बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर) 12/11/12
(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्र. 3962 / 3053/2012/38-1 ::
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

प्रतिलिपि :-

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) कलेक्टर, जिला-.................................... (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक /891/ 95 /2010/01/चयन, दिनांक 04 /08/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर,रायपुर छ.ग.।
(9) संचालक , जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(10) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(11) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.................................की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(12) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.................................।
(13) संबंधित खेदुराम सत्यार्थी भारती, (बरेठा-धमतरी)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(14) आदेश फोल्डर।

(हस्ताक्षर) 12/11/12
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Hindi A.P.

(11)

क्रमांक 395
दिनांक 28/3/94

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 94

क्रमांक एफ-1/137/ए-1/30/93 (अंग्रेजी) - लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद पर वेतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है यह. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहां पदस्थ किया जाता है ।
1.	2.	3.
	कु0 मनीषा शर्मा (आपाती महा0प्रा0) द्वारा श्री वाय0के0शर्मा उप प्राचार्य, एस0डी0सी0केन्द्रीय स्कूल कैंट एरिया जबलपुर ।	शा0कला/विज्ञान महा0 रतलाम
	मनोज वर्मा द्वारा श्री बी0एस0वर्मा डी-6/4 महानंदा नगर उज्जैन	शा0महा0 राजपुर (खरगोन) ।
	श्री सुदेश कुमार वर्मा 301 कावेरी होस्टल जे0एन0यू0 नई दिल्ली	शा0महा0रामानुजगंज(सरगुजा) ।
	श्री राकेश तिवारी द्वारा श्री एस0बी0टी0तिवारी आर(ई.डी./आई.एन.एस.टी) सिलूर एयर फोर्स अवधि मद्रास 55 पिन कोड-600055	शा0महा0 मालखरौद (बिलासपुर)
	श्रीमती अर्चना चौहान (आपाती महा0प्रा0) एम0आई0जी0170धनवन्तरी नगर जबलपुर ।	शा0मानकुंवर बाई महिला महा0 जबलपुर ।
	श्री नसीम अरवी द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कोलार्स बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर	शा0महा0सारंगढ(रायगढ)

13. कु0आशिता सुलेमान — शा0के0आर0जी0ग्वालियर।
द्वारा टैगोर ए कंपनी सुभाष बाजार (प्राध्यापक के पद के विरुद्ध)
आगरा।

14. श्रीमती मीनाक्षी चित्रा — शा0कन्या महा0सीधी।
(श्रीमती मीनाक्षी चौबे)
द्वारा-श्रीमती शारदा शर्मा
34 वां [illegible] शा. नि. वि.
वाराणसी (उत्तरप्रदेश)।

15. प्रकाश चंद्र चौधरी — शा0महा0भटगांव (रायपुर)।
शा0महा0 भटगांव सहा0प्रा0 अंग्रेजी
भटगांव जिला रायपुर।
(आपात्ती सहा0प्रा0)

16. कु0 पीलू सक्सेना — शा0स्नातकोत्तर महा0शिवपुरी।
394 सुरेश नगर थाठीपुर
ग्वालियर।

17. कु0 प्रीति सिन्हा — शा0स्नातकोत्तर महा0 धार।
द्वारा ए/15 महेश गार्ड लाईन्स
इंदौर।

19. श्री राजीव सभरवाल — शा0महा0शाहपुरा (मण्डला)।
द्वारा सविता सभरवाल
आर्किटेक्चर विभाग एम0ए0सी0टी0
भोपाल।

20. श्री उपेन्द्र जी पाण्डेय — शा0महा0 प्रतापपुर (सरगुजा)
ग्राम-पो0 डिहरी, व्हाया-
चौसा जिला बक्सर (बिहार)।

21. श्रीमती अनामिका — शा0महा0पोरसा (मुरैना)
(आपात्ती सहा0प्रा0)
शा0महा0 पोरसा मुरैना।

22. सुश्री नीलिमा झा — शा0महा0 खरसिया (रायगढ़)
द्वारा प्रोफेसर [illegible] झा
विश्वविद्यालय प्राध्यापक स्नात-
कोत्तर अंग्रेजी विभाग भागलपुर
विश्वविद्यालय भागलपुर।

23. आनंद शंकर बहादुर — शा0महा0 सीतापुर (सरगुजा)
द्वारा प्रो0धर्मराज बहादुर
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग (स्नातकोत्तर)
देवघर महा विद्यालय

101\. कु0 राजश्री आई (आरक्षित महा0प्रा0) जी 2/3 विश्वराजेनगर विश्वविद्यालय परिसर उज्जैन । — शा0महा0(प्राचीन)रतलाम

102\. श्रीमती लता मिश्रा (शर्मा) द्वारा श्री छोटेलाल अग्रवाल 37 ए ई/16 मधुनगर आगरा । — शा0स्नातकोत्तर महा0टीकमगढ़ ।

103\. कु0 राधा घाट मेन पानी रोड तिली सागर । — शा0महा0राहतगढ़(सागर) ।

104\. श्री वसंत कुमार रंजन पैथिया गांधी वार्ड-3 रामदयाल साह भवन समस्तीपुर पो0जिला समस्तीपुर बिहार । — शा0महा0 गोण्डागांव(बस्तर) ।

105\. श्री सुनिल कुमार झा 540 बी हाथीवाला बैंक इंदौर । — शा0महा0किरन्दूल (बस्तर) ।

106\. कु0 पैल कक्कड़ (आरक्षित महा0प्रा0) 5/25 सदरबाजार सागर । — शा0 महा0कन्या सागर ।

107\. कु0 मृणाल सक्सेना म0नं0 1 इंदिरा हॉस्टल ए0पी0एस0यू0 रीवा । — शा0महा0 मैतवारा(सतना)

108\. श्री आशीष कुमार सिंह अनुवादक हिन्दी अनुभाग अमरा संख्या-556 बी; तकनीकी विकास महानिदेशालय उद्योग भवन दिल्ली । — शा0महा0 पाडुरना(छिंदवाड़ा) ।

2/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । एवं साथ छाया प्रतियाँ सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जावेगा ।

5/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 18 अप्रैल, 94 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ...
[illegible]

6

// ।। //

नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
13.3.94
(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्र0 एफ-1/137/93/ए-1/38 (अंग्रेजी) भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 94

प्रतिलिपि-

1. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर म0प्र0 ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 ।
5. संबंधित प्राचार्य, शा0म0हा0 म0प्र0 ।
6. संबंधित गण ।

उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी/.....

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम[1]36 द्वारा म0प्र0 राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक ---------------- विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में रू0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
वाण0		
181. श्री कुलदीप खूजा आ0 श्री पी0एस0खूजा [शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी]	8.7.1962	शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार, नियमित

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(बी०पी०तिवारी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/ 36 /87/स-1/38, भोपाल, दिनांक 15 JUN 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (10 प्रतियों में)
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

(पी०एल०[illegible])
उप ~~अवर~~ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी (म.प्र.)

क्र. [illegible] /स्था./84 दिनांक

--कार्यालयीन आदेश--

संभागीय चयन समिति के प्राचार्य शास. नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 1940/84 दिनांक 1/12/84 द्वारा तदर्थ व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर नियुक्ति के लिये चयन किये जाने के फलस्वरूप कुमारी मनदीप कौर सलूजा आत्मजा श्री प्रीतमसिंह सलूजा टिमरनी की नियुक्ति रिक्त व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर पूर्णतः अस्थायी [illegible] पर वेतनमान रु. 700-1600 पर तदर्थ रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.2.85 तक अथवा 28.2.85 के पश्चात उक्त पद रिक्त होने पर 30.4.85 तक के लिये न्यूनतम वेतन रु. 700 एवं अन्य देय भत्तों पर की जाती है।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तदर्थ रूप से उक्त अवधि का लोक सेवा आयोग के परिणाम स्वरूप पदस्थापना या आगम और स्थायी व्याख्याता की नियुक्ति अथवा शासन के अन्य निर्देश जो भी पूर्व में हो की अवधि के लिये है। यह नियुक्ति बिना किसी भी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(डॉ. [illegible])
Principal,
Govt. Degree College,
Timarni (Hoshangabad) M.P.

पृ. क्रमांक 520 /स्था./84 दिनांक 5-12-84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

(1) कु. मनदीप कौर सलूजा आत्मजा श्री प्रीतम सिंह सलूजा [illegible] टिमरनी। [illegible] 10.12.84 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करें।
(2) सचिव संभागीय चयन समिति के प्राचार्य शास. नर्मदा महा. होशंगाबाद की ओर पत्र क्रमांक 1940/84 दि. 1.12.84 के संदर्भ में।
(3) कोषालय अधिकारी [illegible]
(4) [illegible] विश्वविद्यालय [illegible]
(5) [illegible] टिमरनी।
(6) कार्यालय प्रति।

(डॉ. [illegible])
Govt. Degree College

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

— — o — —

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 20/03/2017

क्रमांक एफ 1–4/2015/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 3141/95/2010/चयन, रायपुर, दिनांक 10.2.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक(अर्थशास्त्र) के पद हेतु माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के पालन में जारी संशोधित सूची अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक(अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6000/– मे उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	संशोधित चयन सूची क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4	5
1	19	श्री देवाशीष हालदार, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, राजाराम मोहन राय हॉस्टल, रूम.न.–11 वाराणसी उ.प्र.221005	शासकीय गुडाधूर महाविद्यालय, कोण्डागांव	UR
2	28	श्रीमती वेदवती देवांगन c/o श्री भगवती प्रसाद, 17 रूचि इलेक्ट्रानिक्स मंडी कम्प्लेक्स, चारामा जिला–कांकेर 494337	शासकीय बाबू छोटेलाल, पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	OBC-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नही होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियॉं सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के

..........2

अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्यधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा करकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर) .03.2017
(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 20/03/2017

पृ.क्र.एफ 1–4/2015/38–1
प्रतिलिपि :–

(1) मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

— — o — —

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1–26/2017/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/जे. दिनांक 30.07.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री आशीष कुमार मिश्र आ.श्री वेदमणी मिश्र, ग्राम–विहरोजपुर, पो.–तिलंगा,थाना गोपीगंज जिला– संत रविदास नगर भदोही उ.प्र. 221303	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
2	तामेश्वरी साहू आ.श्री सरजुराम साहू, ग्राम–आगेसरा,पो.अरकार तह. पाटन,व्हाया–सिकोसा,जिला– दुर्ग छ.ग. 491222	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC/ UR-F
3	डॉ सुरेश कुमार पटेल आ.श्री द्वारिका प्रसाद पटेल, c/o बलीराम पटेल,ग्राम बड़ी कोनी पो. –एमआई टीआई,कोनी बिलासपुर 495009	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	OBC/ UR
4	श्री योगेन्द्र कुमार आ.श्री गुलाब चंद्र,ग्राम पो घुरेटनपुर,जिला– चित्रकुट,उ.प्र. 210202	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR
5	श्री विशाल सिंह आ.श्री चन्द्रभान सिंह, 61 डी/6 ई/1 ओम गायत्री नगर, तेलीयरगंज इलाहाबाद उ.प्र. 211004	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	UR
6	श्री विवेक कुमार जायसवाल आ. श्री राजेन्द्र प्रसाद c/o राकेश रावत, 1111/1283 पिपलवाली गली पुराना कटरा ईलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुनमी	UR
7	श्री नीलाम्बर पटेल आ. श्री काशीराम पटेल, आर्यभटट शांडिल्य निवास हेमन्त ज्वेलरी के सामने मस्जिद रोड कोटा, रायपुर छ.ग.492010	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC/ UR
8	श्री ओम प्रकाश बघेल आ. श्री भोकोराम बघेल, ग्राम–रसौटा पो.कोसमंदी, थाना तह.–पलारी, जिला–बलौदाबाजार छ.ग.493228	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	SC/ UR
9	श्रद्वा मिश्रा पति श्री रितेश मिश्रा,एल 256 सेक्टर–2 पं.दिनदयाल उपाध्याय नगर पारस कंस्टक्शन के पास रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	UR-F

J–1

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 1–26 / 2017 / 38–1
प्रतिलिपि :–

नया रायपुर, दिनांक 29 / 08 / 2017

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

(5). महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

(6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(8) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।

(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1035 / 22 / चयन / 2017 / जे. दिनांक 30.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर / अंबिकापुर / बस्तर / जगदलपुर(छ.ग.)।

(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों / अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... (छ.ग.)।

J-4

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 52 /87/र-1/38 – मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एक(1) द्वारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 3/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक प्राणिशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु० 700-40-1100-50-1300-दक्षतावरोध-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
श्री०		
122. कु० रोशन आरा	1.6.1962	शासकीय महाविद्यालय, कसडोल.
आ० श्री खान मोहम्मद.	1-2-85	
(शासकीय महाविद्यालय, कसडोल)		

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन; समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

:: 2 ::

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उम्मीदवार के इस आदेश में दी गई जानकारी का उम्मीदवार के मूल अभिलेखों से मिलान किया और उन्हें सही पाया । इस आदेश को तामीली मैं व्यक्तिशः स्वयं से आज दिनांक 01-07-1987 को कर लिया है ।

SKMishra
1-7-87

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(जी0पी0तिवारी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ0 क्रमांक एफ 1/52/87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 15 JUN 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय

2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (10 प्रतियों में)

3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.

4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

5- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.

6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर.

Degree 484/1000 48.4% PG 491/800 61.37%
DPP 416 E

(पी0एस0मरहास)
उप अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

क्र1/220 /86/ए-1/38, म0प्र0 तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण [illegible] भोपाल, दिनांक [illegible]
1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए-1-30-86
द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक
में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक
[illegible] में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों
[illegible] हेतु नियम 9(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थानापन्न रूप से [illegible]
[illegible] तक विषय इतिहास के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक
(महाविद्यालयीन शाखा) में रूपये 700-40-1100-50-1300 अतिरिक्त 50-1600
[illegible] में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परीवीक्षा पर नियुक्त किया
है :-

कु0 बेला सिंघारे (एसटी) 19-12-62 शासकीय महाविद्यालय, बैरसिया (भोपाल)
ई0डब्ल्यू0 आफिस, हा0से0 स्नातक स्नातको0 अधि0
ई-30 साकेत नगर, - 620/1200 52[illegible]/[illegible]
इन्दौर (म0प्र0)

श्री भारतेन्दु समुन्द (एसटी) 26-1-60 शासकीय महाविद्यालय, [illegible]
ग्राम व पोस्ट- नगरी, हा0से0 स्नातक स्नातको0 अधि0
तह0 धमतरी जिला-रायपुर - 604/1100 50[illegible]/[illegible]

3. श्री [illegible] (एसटी) 15-[illegible]-54 शासकीय महाविद्यालय, चन्देरी (गुना)
ग्राम-[illegible] पो0 [illegible] - [illegible]/1200 [illegible]/[illegible]
तह0 [illegible] पश्चिम निमाड़

4. श्री इन्दुल राम देहारी (एसटी) 28-7-60 शासकीय स्नातको0महाविद्यालय, नरसिंहपुर
द्वारा श्री छबिलाल [illegible] - 630/1100 485/800
प्रधान पाठक,
ग्राम-पो0 डौंडी व्हाया दल्लीराजहरा
जिला दुर्ग (म0प्र0 491228

5. श्री [illegible] (एसटी) 10-11-5[illegible] शासकीय स्नातको0महाविद्यालय, पन्ना
[illegible] कालोनी, - [illegible]/1100 [illegible]
[illegible] म0नं0 87.
[illegible]

6. कु0 हेमवती ध्रुव (एसटी) 8-4-63 शासकीय गृहविज्ञान महाविद्यालय, [illegible]
द्वारा श्री हरि सिंह [illegible], - 580/1100 4[illegible]/800
ग्राम [illegible] पो0 [illegible]
तह0 धमतरी जिला रायपुर (म0प्र0)

7. कु0 [illegible] (एसटी) 17-12-61 शासकीय महाविद्यालय, [illegible] - 545/1100 482/[illegible]
[illegible] कालोनी अम्बिकापुर
[illegible] (म0प्र0)

निरन्तर... 2...

Rome Science for

2/- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन असमाधानकारक पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3/- उपरोक्त नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की वरिष्ठता स्थायी होने पर वाही तदर्थ सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण में पात्र व्यक्तियों के नीचे मान्य की ज[illegible]

4/- यदि यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा इसके एवज एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी ।

5/- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6/- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी करने के दिनांक से 9 वर्ष के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करनी होगी अन्यथा उन्हें आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7/- उपर्युक्त नियुक्त उम्मीदवार संबंधित प्राचार्य को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा । प्रमाण-पत्र सत्यापित पाये जाने पर ही यह नियुक्ति प्रभावशील होगी।

8/- नियुक्ति प्रत्याशी दिनांक 1-7-87 को कार्यभार ग्रहण करेंगें । कार्यभार ग्रहण करने की अवधि कदापि बढाई नहीं जावेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी०पी० तिवारी)
उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ०क्रं० एफ-1/220/86/ए-1/38, भोपाल, दिनांक : [illegible]

प्रतिलिपि:-

1/- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश कीओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2/- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० भोपाल ।

3/- अतिरिक्त संचालक, 1, 2, 3, एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र०

4/- माननीय राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक ।

5/- संबंधित प्रत्याशी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

6/- सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

[illegible] म०प्र० लोक सेवा आयोग, इन्दौर (म०प्र०) ।

(पी०एन० [illegible])
उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

[illegible]/

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 18 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 37 /87/ए-1/38 – मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम (1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक ---~~राजनीतिशास्त्र~~---- विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
रा0 131- श्रीमती प्रभा टेंबुरकर पत्नी श्री [illegible] टेंबुरकर (शासकीय महाविद्यालय, धमतरी)	05-01-1962	शासकीय महाविद्यालय, धमतरी

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/ नियुक्त किए गए हैं।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(जी०पी०तिवारी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/ 37 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 18-6- 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय

2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (10 प्रतियों में)

3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.

4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.

6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

(पी०एस०भरहास)
उप अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय धमतरी

क्रमांक / त. नि. /83-[illegible] धमतरी / दिनांक 21.8.84

नियुक्ति आदेश

म0 प्र0 शासन शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक [illegible] दिनांक 12.X.82 के द्वारा प्रदत्त अधिकारी के अन्तर्गत श्री/ कुमारी [illegible] पता [illegible] को पूर्णतया अस्थायी तदर्थ रूप से श्री [illegible] रिक्त व्याख्याता पद पर म0 प्र0 महाविद्यालयीन शिक्षा सेवा में दिनांक 21.8.84 से 700=00 40-10-1100-50-1300 - एसेसमेन्ट 50-1600 के वेतनमान में 700/- के न्युनतम वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है । यह अस्थायी नियुक्ति ------------ माह अथवा शासन द्वारा नियुक्त नियमित व्याख्याता द्वारा पदभार ग्रहण करने पर या किसी नियुक्त व्याख्याता के अवकाश समाप्ति के पश्चात या स्थानान्तरण पर या टीचर फेलोशिप से वापिस आने पर कार्यग्रहण करने पर जो भी पहले हो स्वत: समाप्त हो जावेगी ।

आप दिनांक 1.9.84 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दे । उक्त तिथि को कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश निरस्त माना जावेगा ।

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय धमतरी

पृष्ठांकन क्रमांक/---------/83 धमतरी / दिनांक -------------- ।

प्रतिलिपि:-

(1) अवर सचिव (4) शाखा - 5 म0 प्र0 शासन शिक्षा विभाग भोपाल.
(2) उपकोषाधिकारी धमतरी
(3) श्री/कुमारी/ [illegible] म0 प्र0 विद्युत मंडल, धमतरी
(4) लेखापाल शासकीय महाविद्यालय धमतरी.

प्राचार्य,
शासकीय महा0 धमतरी (म0प्र0)

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 37 /87/स-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एक(1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक राजनीतिशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0 155. श्रीमती पुष्पा ई0आर0वर्गीस पत्नि श्री आर0सी0वर्गीस धमतरी (शासकीय महाविद्यालय, ~~चिरमिरी~~)	13-3-1956 13.12.56	शासकीय महाविद्यालय, ~~चिरमिरी~~ धमतरी

PRINCIPAL
GOVERNMENT COLLEGE
DHAMTARI. (M.P.)

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन; समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/ नियुक्त किए

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से पांच वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि § मास्टर्स डिग्री § के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि § यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है § प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

उम्मीदवार के [illegible] मूल अभिलेख देखे [illegible] ।
इस आदेश की तामील [illegible] दिनांक 1-7-87 को [illegible] कर दिया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

PRINCIPAL
GOVERNMENT COLLEGE,
DHAMTARI. (M.P.)

§ जी०पी० तिवारी §
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/ 37 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 18-6- 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल §10 प्रतियों में §
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित सदर्भ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

Degree 641/1102 58.21 %. PG 511/800 63.87 %.
LLB 470 x C.

पावती :- इस आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई
[illegible] 11.7.87

§ पी०एस०भरहाम §
उप [illegible]

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 22.जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 58 /87/स-1/38 – मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-स-6-30-86-एक(1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 से प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक —— समाजशास्त्र —— विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रू0 700-40-1100-50-1300-अतिलमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
1320- डा0 श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री पारस जैन [स्नातक - महाविद्यालय बैरागढ़]	9.[illegible].1962	शासकीय महाविद्यालय बैरागढ़

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/ नियुक्त किए —गए हैं।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक मास का नोटिस अथवा उसके बदले में एक मास का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(जी०पी० तिवारी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/ 38 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 22-JUN 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (10 प्रतियों में)
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

(पी०एस०मरछास)
उप अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर

पंजीकृत डाक से.

— — 0 — —

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3943/3940/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2577/95/2010/11/चयन,दिनांक 06/11/2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) के पद पर वेतन बैंड 15600–39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:–

अ.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	शाहिन गनी एच–24, निशांत कॉलोनी, 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.) पिन कोड – 462003	शास. आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	अनारक्षित महिला
2	आशुतोष देऊस्कर द्वारा श्री कृष्णकान्त सूबेदार, 42–एच. आई.जी., द्वारिका विहार कॉलोनी, रोजगार कार्यालय के पीछे, तिली अस्पताल रोड, तिली, सागर (म.प्र.) – 470002	शास. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, जि–कोरिया	अनारक्षित
3	डॉ. बसंत कुमार सोनबेर 60 डॉ. सतीश मेश्राम के सामने, कंचन बाग, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन कोड –491441	शास. आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	अनारक्षित
4	सरला सेन म.नं.–3, ड्यूप्लैक्स, बालाजी स्टेट, ऐकेडमी ऑफ ग्राइण्ड ऐजुकेशन स्कूल के पास, बांधवगढ़ कॉलोनी, सतना (म.प्र.) पिन कोड –485001	शास. बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	अनारक्षित महिला
5	वैशाली राव एम.आई.जी.–51, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा कॉलोनी, गुढ़ीयारी रोड, रायपुर – 492010	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	अनारक्षित महिला
6	जय सिंह ग्रा. चंदा सुरजा, पो. कदवां, तह. –चुनार, जिला–मीरजापुर (उ.प्र.) पिन कोड – 231304	शास. दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	अनारक्षित
7	डॉ. गौतमी भतपहरी बासटाल हस्पताल वार्ड, रायपुर पिन कोड –492001	शास. दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	अनारक्षित महिला

निरंतर 2

12/11/12

8	मनोज कुमार राव मेसर्स आटो हाऊस, काली मंदिर गली, पुर्दिलपुर गोलधर, गोरखपुर (उ.प्र.) पिन कोड – 273001	शास. भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अनारक्षित
9	जय कुमार रंजन द्वारा प्रो. नागेन्द्र प्रसाद, मुकाम कुसुम विहार रोड न. –7, पूर्व मोरावादी, रांची, झारखण्ड– 834008	शास. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	अनारक्षित
10	कु. शारदा घोघरे कला निवास वाड क्र.–14, भीमनगर, आमला–460551	शास. किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	अनारक्षित महिला
11	रचिता श्रीवास्तव हाऊसिंग कॉलोनी के पास, पोस्ट–कुमारी, जिला– दुर्ग पिन कोड – 490042	शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर पी. जी. कला–विज्ञान महा., दुर्ग	अनारक्षित, महिला
12	डॉ. तृप्ति विस्वास डी.सी. रोड, महावीर नगर, अम्बिकापुर, जि–सरगुजा पिन कोड – 497001	शास. राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	अनारक्षित महिला
13	श्रीमती अनामिका मोदी मकान नं.–7/715, सनमती नगर, कुदूनाथ जैन मंदिर के पास, गली क्र.–4, रायपुर – 492001	शास. जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	अनारक्षित महिला
14	डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा शर्मा पति श्री सुधीर कुमार शर्मा, द्वारा श्रीमती उर्वशीदेवी शर्मा, दीपक किराया भण्डार के पास, अश्वनीनगर, रायपुर, पो. सुंदरनगर, जिला–रायपुर– 492013	शास. ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	अनारक्षित महिला
15	ज्योति कुजूर एम.आई.जी. 1/15, कबीरनगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, रिंग रोड क्र. 2, रायपुर	शास. एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	अनुसूचित जनजाति महिला
16	कु. ललिता साहू द्वारा श्री सी.एस. साहू, म.नं. – 664/2, गुढ़ियारी रोड, कोटा, रायपुर पो.आ.–आर. एस.यू., रायपुर पिन कोड – 492001	शास. माताशबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर ।	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
17	अवन्तिका कौशिल बी–11, प्रगति नगर, दीपका (गेवरा) जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन कोड – 495451	शास. इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महा. [illegible] कोरबा	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
18	श्रीमती जयश्री पंचांगम डॉ. राजेन्द्र नगर (साहू आटा चक्की) कटोरा तालाब, पो. रविग्राम, रायपुर पिन कोड – 492006	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
19	धनश्याम ठाकुर मनोविज्ञान अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अनुसूचित जनजाति

1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

निरंतर....3

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

निरंतर.....4

(हस्ताक्षर) 12/11/12

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
12/11/12
(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्र. 3944/3940/2012/38–1 ::
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) कलेक्टर, जिला................ (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2577/95/2010/11/चयन, दिनांक 06/11/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर छ.ग.।
(9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(10) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(11) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.................. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
(12) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला.................. /
(13) संबंधित श्रीमती [illegible]..................

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(14) आदेश फोल्डर।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

21/11/12

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर
— — 0 — —
:: आदेश ::

पंजीकृत डाक से

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3945/3938/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र कमांक 2585/95/2010/22/चयन,दिनांक 06/11/2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (विधि) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (विधि) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

अनु.क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	डॉ. राजेश सिंह श्री जे.पी. साहू, 343, कन्हईपुर, चाँदमारी, मुरादगंज, जौनपुर (उ.प्र.) पिन कोड 222002	शास. राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जि-सरगुजा	अनारक्षित
2	बिपिन चन्द्र चौबे विधि संकाय, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) पिन कोड 221005	शास. राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जि-सरगुजा	अनारक्षित
3	प्रदीप कुमार पान्डेय द्वारा मनोज कुमार पान्डेय, टी-1/378 पहाड़पुर कॉलोनी, रिजर्व पुलिस लाइन, वाराणसी (उ.प्र.)	शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अनारक्षित
4	ब्रजेश कुमार ग्राम व पोस्ट -लक्षुमण विगहा, थाना-पटैया, जिला-गया, बिहार पिन कोड 824209	शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अनारक्षित
5	चन्द्र सेन प्रताप सिंह रिसर्च स्कालर, विधि विभाग,बी.एच.यू (यू.पी.) पिन कोड 221005	शास. राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जि-सरगुजा	अनारक्षित
6	शशांक ठाकुर क्वाट नं. 1030, एस.सी. बायज हास्टल कैंपस, मालवीयनगर चौक, दुर्ग, पिन कोड 491001	शास. राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जि-सरगुजा	अनारक्षित
7	शशिकान्त त्रिपाठी 92 ए विकास नगर, कानपुर (उ.प्र.) पिन कोड 208024	शास. दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	अनारक्षित

12/11/12

निरंतर 2

अनु. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिक्त
1	2	4	5
8	दुर्गेश प्रसाद द्वारा श्री हरिनारायण, ग्राम –महादेवा दूबे, पोस्ट–बरतगाड़ा तहसील–फरेंदा, जनपद–महाराजगंज (उ.प्र.) पिन कोड 273155	शास. बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	अनारक्षित
9	राघवेश पाण्डेय द्वारा गोविन्द जी मिश्रा, मालवीय बाँध के पास, नमनाकला, अम्बिकापुर पिन कोड 497001	शास. धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	अनारक्षित
10	सुरेन्द्र कुमार ई–4/734 गोमतीनगर, लखनऊ (यू.पी.)	शास. जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ पी0जी0 महाविद्यालय, रायपुर	अनारक्षित
11	शशांक सिंह 105 बालाजी कॉलोनी, सामनेघाट, लंका, वाराणसी (उ.प्र.) पिन कोड 221005	शास. बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	अनारक्षित
12	माधवेन्द्र तिवारी द्वारा मोहन सोनी, इण्डियन पब्लिक स्कूल के बाजू में मिश्रा कॉलोनी, राजपाल चौक, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड 480001	शास. भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अनारक्षित
13	सुरेश कुमार ग्राम छितौना, पोस्ट–भर्रोह, जिला– गोरखपुर (उ.प्र.) पिन कोड 273408	शास. धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	अनारक्षित
14	रोहित श्रीवास्तव कमरा नं. – 27, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छात्रावास, बी.एच.यू., वाराणसी (उ.प्र.)पि0 221005	शास. भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अनारक्षित
15	भूपेन्द्र करवन्दे गुरुदेव कॉलोनी, वार्ड नं.– 15 मु.पो.त. सौंसर, जि–छिंदवाड़ा– 480106	शास. जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ पी0जी0 महावि., रायपुर	अनारक्षित
16	झरना चौबे द्वारा सी रॉबिन्सन, सिस्टर टयुटर ई–1, टाइप क्वाटर, रिजनल फेमली एण्ड हेल्थ ट्रेनिंग सेन्टर, सिपथ रोड़ सरकंडा, बिलासपुर पिन कोड 495001	शास. ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	अनारक्षित महिला
17	डॉ. आभा सिन्हा शिवमंगलम आपार्टमेन्ट के पास अनुपम वर्मा के मकान के सामने, लिंक रोड, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड 495001	शास. ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	अनारक्षित महिला
18	सौरभ कुमार पाण्डे सडक नं. – 17, मकान नं. – 2, सेक्टर –9, भिलाई नगर, दुर्ग – 490009	शास. बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	अनारक्षित
19	पंकज जैन द्वारा वैभव प्रोव्हिजन स्टोर्स, शास्त्री चौक, धमतरी – 493773	शास. दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	अनारक्षित
20	गिरिश नन्दन सिंह कमरा नं.– 49, सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास, बी.एच.यू. वाराणसी (उ.प्र.) पिन कोड 221005	शास. ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	अनारक्षित
21	डॉ. सपना ताम्रकार सरकारी अस्पताल के सामने, खुरई, जिला–सागर (म.प्र.) पिन कोड 470117	शास. बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	अनारक्षित महिला

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन उच्च छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जावेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निगमों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10 यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11 नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12 इस आदेश में टकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
12/11/12
(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

3946
पृ. क्र. /3938/2012/38-1

प्रतिलिपि :-

(1)राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2)प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3)मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4)विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5)महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6)कलेक्टर, जिला- .... (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2585/95/2010/22/चयन,दिनांक 06/11/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
(9) संचालक , जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।
(10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
(11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.................................की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे।
(13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-............................।
(14) संबंधित डा. सपना ताम्रकार

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(15) आदेश फोल्डर।

12/11/12
उपसचिव
छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
— — 0 — —
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 30/08/2013

क्रमांक –एफ 1–44/2012/38–1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1105/95/2010/22/चयन, दिनांक 29/07/2013 के संलग्न सहायक प्राध्यापक, विधि की संशोधित चयन सूची दिनांक 08.07.2013 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (विधि) के पद हेतु अतिरिक्त चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (विधि) के पद पर वेतन बैंड 15600–39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :–

स. क्र	चयन सूची दिनांक 08.07.2013 के अनुसार)	अभ्यर्थियों के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	6
1	8	कोमल प्रसाद यादव पो0 चितारा महमूदपुर, जिला–आजमगढ़, उ0प्र0 पिन कोड–223224	शासकीय बाबू छोटे लाल स्नातकोत्तर महावि. धमतरी, जिला–धमतरी	अनारक्षित
2	12	प्रेमनाथ भारती पो0 उमानपुर जिला–मऊ, उ0प्र0 पिन कोड–275101	शासकीय बाबू छोटे लाल स्नातकोत्तर महावि. धमतरी, जिला–धमतरी	अनारक्षित
3	16	सुरेश मणी त्रिपाठी, पो0 सिद्धार्थ इन्क्लेव, तारा मण्डल रोड, जिला–गोरखपुर उ0प्र0 पिन कोड–273017	नवीन विधि शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार	अनारक्षित
4	24	मोहन लाल सोलंकी, ग्राम एवं पो0– मुंगावली, जिला एवं तहसील –सीहोर, म0प्र0 पिन कोड–466001	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महावि0 जगदलपुर जिला–बस्तर	अनारक्षित
5	25	डा0 अभय सिन्हा, शिवमंगल अपार्टमेंट के पास, अनुपम वर्मा के मकान के सामने, लिंक रोड, बिलासपुर पिन कोड–497001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर	अनारक्षित

निरंतर 2

6	20	मुकेश कुमार मालवीय, 1-यू एवं पो. चांद, (माता मंदिर के सामने, मेन रोड, चांद) तहसील-चौराई, जिला-छिंदवाड़ा, म0प्र0 पिन कोड-480110	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद, जिला-बालोद	अनारक्षित
7	27	डॉ0 मिलेन्द्र सिंह, ग्राम एवं पो0-शंकरगढ़, जिला-सरगुजा पिन कोड-497118	शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	अनारक्षित

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानवीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानवीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानवीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानवीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानवीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

निरंतर 3

शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में टंकीण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/- प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोकत नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 30/08/2013

पृ.क्र. –एफ 1–44/2012/38–1
प्रतिलिपि :–

(1)राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2)प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3)मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4)विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5)सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(6)महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(7)कलेक्टर, जिला–.. (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(8) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1105/95/2010/22/चयन, दिनांक 29/07/2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

निरंतर 4

कार्यालय-अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, रायपुर (म.प्र.)

क्रमांक/......./स्था0/96, रायपुर, दिनांक: 02 दिसम्बर, 96

// आदेश //

उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1/125/96/38-1, दिनांक 22.11.96 के द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी श्री नारायण सिंह देहारी, ग्राम व पोस्ट भारदेवरी, तहसील कांकेर, जिला बस्तर की नियुक्ति सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र के पद पर शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर (बस्तर) में की गई है। प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर के पत्र क्रमांक 459/स्था./96, दिनांक 23.11.96 द्वारा सूचित किया है कि भानुप्रतापपुर महाविद्यालय में स.प्रा. वनस्पतिशास्त्र का पद रिक्त नहीं है।

अतः दिनांक 2.12.96 को श्री पी.डी. अग्रवाल, उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से दूरभाष पर हुई चर्चा के तारतम्य में एवं उनके द्वारा जारी उक्त आदेश में संशोधन किये जाने की प्रत्याशा में श्री नारायण सिंह देहारी को शासकीय महाविद्यालय, कुरूद, जिला रायपुर में सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सही/-
(डॉ. डी.पी. [illegible])
अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग,
रायपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/3158/स्था0/96, रायपुर, दिनांक: 02 दिसम्बर, 96

प्रतिलिपि:-

(1) आयुक्त, उच्च शिक्षा- विशेष ध्यान- श्री एस.के. तिवारी, संयुक्त संचालक, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(2) उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर दूरभाष पर हुई चर्चा के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ। कृपया तदनुसार नियुक्ति आदेश दिनांक 22.11.96 में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।

(3) प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरूद, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।

(4) प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर (बस्तर) की ओर सूचनार्थ।

(5) संबंधित प्रत्याशी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

[illegible] 2/12/96

(डॉ. डी.पी. [illegible])
अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग,

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 94

क्रमांक एफ-1/140/93/ए-1/38 (रसायनशास्त्र) -मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर वेतनमान रु0 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है ।
	अनुसूचित जनजाति	
31.	डॉ0 सहदेव द्वारा श्रीमती सत्यवती देवी, सी-4 कैनाल कॉलोनी कौसीरोड राम- नगर जिला-नैनी ताल (उ. प्र.) ।	शा0महा0सिरोंज (विदिशा) ।
32.	श्री प्रमोद कुमार पंडित द्वारा-डॉ0 सी. एस. पंडित, योइथराम अस्पताल अनुसंधान, केंद्र माणिकबाग इंदौर ।	शा0महा0मनावर (धार) ।
33.	कु0 सपना ठाकुर, द्वारा-श्रीमती रेखा ठाकुर पीला-महल के पास पो0शक्ति जिला- बिलासपुर ।	शा0महा0डभरा (बिलासपुर) ।
34.	श्री अजय कुमार सिंह ग्रा0पो0 बीहट (मानदपुर) जिला-बेगूसराय (बिहार)	शा0महा0धमतरी (रायपुर) ।
36.	कु0 संध्या पिंपलापुरे, एच. आई. जी. 010 पद्माकरनगर, मकरोनिया (सागर) ।	शा0महा0दमोह ।
37.	श्री रत्नाकर मुदली, गोपीनाथपुर पो0पुगलपुर खारों, जिला बालेश्वर (उडीसा)	शा0महा0भानुप्रतापपुर (बस्तर) ।
39.	श्री जितेन्द्र अस्वानी ए-160 कमला नगर आगरा (उ. प्र.) ।	शा0महा0सेंधवा ।

41.	श्रीमती परमिन्दर कौर क्वार्टर नं0-91 सड़क नं-14 सुन्दर नगर पो0वैशालीनगर भिलाई ।	शा0उ0मा0वैशालीनगर(दुर्ग) ।
43.	श्रीमती अनुपमा कायस्थ द्वारा-श्री अनिल कुमार कायस्थ सहायक प्राध्यापक शा0कमलादेवी महा0राजनांदगांव ।	शा0विज्ञान महा0राजनांदगांव ।
44.	श्री नरेशचंद शर्मा द्वारा-श्री योगेशचंद शर्मा, 30/235 जलेयाले सोहागा मंदिर के पास ब्राह्मणपारा (रायपुर) ।	शा0उ0मा0नारसिहंगा (रायपुर) ।
45.	श्री रमेश पणिकर द्वारा श्री एस0जी0नारवलेकर, जी-150 गौतमनगर भोपाल ।	शा0उ0मा0[illegible](रायसेन) ।
46.	श्रीमती नमिता भटनागर डी. एच. 202, 10डी स्कीम 74-सी, विजयनगर, इंदौर ।	शा0उ0मा0बड़वाह (खरगोन) ।
47.	श्रीमती प्रतिभा वर्मा (आपाती सहायक प्राध्यापक) द्वारा श्री आर0के0गुप्ता (आई. ए. एस.)रिटा-ई. ई-6/40 अरेरा कालोनी भोपाल ।	शा0[illegible] विज्ञान महा0भोपाल
48.	श्री दीपक पाठक [illegible] [illegible], जैन मंदिर के सामने [illegible] ग्वालियर	शा0उ0मा0टीकमगढ़
49.	श्री किशोर कुमार तिवारी द्वारा-राजा जनरल स्टोर्स [illegible] [illegible] बिजली [illegible] के समीप जिला-दुर्ग (म0प्र0) ।	शा0[illegible](रायपुर) ।
50.	श्री गिरिराज श्रीवास्तव द्वारा -श्री के0के0श्रीवास्तव कृषि [illegible], रविग्राम रायपुर ।	शा0उ0मा0[illegible](रायपुर) ।
51.	कु0रोली पाठक द्वारा- श्री [illegible] पाठक 93/30(1250, [illegible] भोपाल ।	शा0उ0मा0[illegible](होशंगाबाद) ।
52.	कु0 उर्मिला [illegible] द्वारा -श्री [illegible], 1[illegible]/25 [illegible] भोपाल ।	[illegible] ।

.....3

53. श्री सनतकुमार मिश्र — शा०महा०अमरपाटन ([illegible])
116/331 वेंकटेश भवन
रायगंज, अयोध्या, फैजाबाद (उ. प्र.)

// भौतिक रसायन//

32. श्री विजय नारायण परांजपे — शा०पी०जी०महा०सिवनी ।
ई-7 एम.आई.जी. 740 अरेरा
कालौनी, भोपाल ।

33. श्री दिलीप कुमार — शा०महा०मण्डला ।
एच.एन. 430 सेक्टर-7
पुष्प विहार न्यू दिल्ली ।

34. कु0निशा मिश्रा — शा०महा०जांजगीर(बिलासपुर) ।
सी/ओ. श्री रामचंद्र मिश्रा (एस0डी0
ओ) एफ-5 सिंचाई कालौनी सिविल
लाइन रीवा (म0प्र0) ।

35. कु0 शैलजा सचान — शा०पी०जी०महा०सतना ।
द्वारा डॉ0 एस.पी. सचान
8/479 खुटेही रीवा ।

36. श्रीमती स्वागता गुप्ता — शा०पी०जी०महा० धार ([illegible])
सी./ओ. श्री ए.के. गुप्ता
158 टेलीफोन नगर कोदियारोड
इंदौर ।

37. कु0 अनुभा राय — शा०महा०जावरा(रतलाम) ।
एम.आई.जी. ए-23/9
नानाखेड़ा मंदिर रोड उज्जैन ।

39. श्री सुशील कुमार सिंह — शा०महा०सनावद(खरगोन)
सी/ओ. श्री शरद कुमार सिंह
मैनेजर जिला सहकारी बैंक लि.
जिला-जौनपुर शाखा-केराकत
(यू. पी.)

40. श्री महेन्द्र किशोर भटनागर — शा०महा०जयसिंहनगर(शहडोल) ।
एस/ओ. श्री सी0के0भटनागर
"उत्कर्ष भवन" 430 आर्य नगर रोड
रीवा होटल के पास शहडोल ।

41. कु0प्रिया मिश्र — शा०महा०छिंदवाड़ा ।
द्वारा-डॉ0 दिनेश चंद्र मिश्र
16 गांधी चौक हरदा म0प्र0 ।

......4

42. श्री दीपेन्द्र सिंह रघुवंशी शा०महा०गुना (धार) ।
11 ग्राउन्ड होटल ... र,
फ्रीगंज माधव नगर उज्जैन ।

43. श्री जगवीर सिंह शा०महा०राजपुरा (इंदौर) ।
प्रवक्ता रसायन विभाग,
नेहरु कालेज छिबरामऊ
फर्रुखाबाद (उ.प्र.) ।

44. श्री अशोक कुमार मौर्य शा० महा०अंतागढ़ (राजनांदगांव)
सी.ओ. डॉ० धीरेन्द्र कुमार मौर्य
75/19 सी. जार्ज टाउन पटलर
मार्केट इलाहाबाद (उ.प्र.)

45. कु० अनिता लोधा शा०महा०सीधी ।
सी.ओ. /डॉ० एस. डी. लोधा
प्राध्यापक शा०आदर्श विज्ञान
महा०रीवा ।

45. श्री संजय कुमार वर्मा शा०महा ...(इंदौर) ।
814 कृष्णपुरा मन्दौर ... [illegible]
सोनीपत ।

47. श्री ... परवेज शा०महा ... (रायपुर) ।
.07/एच.आई.जी-... [illegible]
भिलाई नगर दुर्ग ।

48. कु० ... कौर ... [illegible] शा०महा०जावरा (रतलाम) ।
118 ... नगर उज्जैन ।

50. श्री राजेश कुमार पाठक शा०महा०... (सरगुजा) ।
क. नं. 216 स्वामी विवेकानंद
छात्रावास गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर ।

51. कु०... अग्रवाल शा०कन्या महा०रायपुर ।
डा/ओ. श्री ... अग्रवाल
सिविल लाईन नियर स्टेट हाउस
रायपुर ।

52. श्री ओ... शर्मा शा०महा०... ।
एस./ओ. श्री ... अरोरा (... घाट) ।
... [illegible]

2/ ... 1990 के ...-
22 के अनुसार ... नियुक्ति ... ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की ...-
वधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

4/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश सिविल सेवा [सेवा की सामान्य शर्तें] नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] भर्ती नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगे ।

6/ पदभार ग्रहण करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उनकी छायाप्रतियां सत्यापित करना होगा सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिया जायेगा ।

7/ यह नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना कोई कारण बतलायें एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी । इसी प्रकार अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा ।

8/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 2 अगस्त, 94 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा । शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9/ नवनियुक्त अधिकारियों के परीवीक्षा काल में पदस्थापना में परिवर्तन/स्थानान्तरण का कोई भी प्रयास शासकीय सेवा के अनर्ह ठहराने के लिये पर्याप्त आधार होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

[हीरालाल त्रिवेदी]
उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष नं0-556233

पृ0क्र0एफ-1/140/93/ए-1/38 [रसायनशास्त्र] भोपाल, दिनांक | जुलाई, 94

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री उच्च शिक्षा/प्रमुख सचिव म0प्र0शासन उच्च शिक्षा म0प्र0 ।
2. सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।

4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल ।
5. संबंधित जिला चिकित्सालय अधिकारी म0प्र0 ।
6. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 ।
8. संबंधित प्राचार्य, शा0 महा0 म0प्र0 ।
9. संबंधित अधिकारी म0प्र0 ।

उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नानवंशी/.....

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] जाये ।

सेवा में,
प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय [illegible]
(रायपुर)

विषय :- नियुक्ति पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में।

महोदय,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के क्रमांक एफ-1/140/93/ए-1/38 (उच्च शिक्षा) दिनांक 13.07/94 के आदेश के तहत मेरी नियुक्ति शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर की गई है। उपरोक्त आदेश के अनुसार मैं अपना कार्यभार आज दिनांक 01-08-94 के पूर्वाह्न में इस महावि० में ग्रहण किया।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

संलग्न

(1) जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(ii) सेकेण्ड्री से स्नातकोत्तर तक के अंक पत्रों की छाया प्रति।

भवदीय

अजय कुमार सिंह
सहायक प्राध्यापक
(रसायन शास्त्र)
शासकीय महावि०
धमतरी, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
-- o --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-33/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1034/22/चयन/17/II दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनाक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री युनुस रजा बेग आ.ईरलाम बेग, पुलिस थाना लाईन शेख रेडियों सेक्टर के पास कवर्धा जिला- कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR
2	श्री रविकांत जायसवाल आ. श्री बी.पी. जायसवाल,ग्राम अगरपुर पो.पेण्ड्रा जिला- बिलासपुर छ.ग.495119	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	UR
3	डॉ.प्रियंका सिंह आ श्री शंभूनाथ सिंह इन्द्रपुरी कॉलोनी दिग्विजय स्टेडिम के पीछे एस.बी.टावर के पास राजनांदगांव छ.ग.491441	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR-F
4	रजनी मंडल पति स्व.श्री केशव मंडल,बंगाली केम्प पो.किरन्दुल जिला-दंतेवाड़ा 494556	शास.महाविद्यालय, किरंदुल दंतेवाड़ा एवजीदार	UR-F
5	श्री सुयश सिंह आ.श्री राजबहादुर सिंह सी14/4 सिवरिया टाउनशिप म.प्र.पा.ज.कं.लि.कालोनी बीड़नुदी जिला- खंडवा म.प्र. 450110	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सरोना	UR
6	श्री प्रशांत साहू आ.श्री भीखमराम साहू एमआईजी183 चतुर्थ फ्लोर ब्लाक 8 हिमाल्या हिमगिरि डूमरतराई रायपुर छ.ग. 492015	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी जिला बस्तर	OBC /UR
7	श्री हेमन्त कुमार देशमुख आ. श्री नंदलाल देशमुख केमेस्ट्री प्वांइट क्लास ,गीतादेवी सदन मस्जिदरोड सरस्वती नगर कोटा,रायपुर 492010	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसींवा	OBC /UR
8	मितीशा वैद आ श्री उत्तम चंद वैद वार्ड 31 म.न. 229 आपापुरा दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	UR-F
9	श्री संदीप कुमार कुशवाहा आ.श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा, एलाइट इंस्टीट्यूट,बनारस रोड व्यायाम शाला के सामने वाली गली पटेलपारा अंबिकापुर जिला- सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	OBC /UR

H-1

24	श्री नवीन कुमार वर्मा आ.श्री सेवकराम वर्मा, रसायन शास्त्र विभाग शा.इंजिनियरिंग महावि. कोनी बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	OBC /UR
25	श्री जितेन्द्र कुमार आ.श्री बलरामजी भट्ट c/o प्रो पी वेणुगोपालन ,केमेस्ट्री रसायन विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 160014	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	UR
26	श्री विवेश कुमार झा आ श्री रामयोद्धा झा, एटी पुरनाहिया हरनाहिया, रातियारा सीतामढ़ी बिहार 843302	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	UR
27	डॉ श्रेणी देवांगन पति श्री अश्वनी कुमार एमआईजी-1 / 136 महाराणा प्रताप नगर कोरबा छ.ग.495677	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	OBC/ UR-F
28	अनुराधा चौधरी पति श्री गणेश लाल पटेल, 3डी 101 अवध सोसाईटी गुरजिन्दर विहार ग्रेटर नोईडा उ.प्र. 201315	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	OBC/ UR-F
29	श्री सुमित श्रीवास्तव आ.श्री पुरूषोत्तम लाल श्रीवास्तव म.311 पुरन नगर उन्नव उ.प्र.209801	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR
30	श्री हेमन्त कुमार कश्यप आ.श्री भरत लाल कश्यप c/o श्री सुशील कुमार इंदिरा कालोनी तारबाहर हाईस्कूल के पास बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुंगेली	OBC /UR
31	सरबजोत कोर मक्कड़ आ.डॉ बलवीर सिंह मक्कड डी 118 पीएसई पीएएमएल सीएसआईआर एसीएल पुणे महाराष्ट्र 411008	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	UR-F
32	श्री संदीप कुमार वैष्णव आ श्री संतोष वैष्णव वैरागी पारा वार्ड 3 छुईखदान जिला-राजनांदगांव छ.ग. 491885	शास.महा. कुरूद जिला धमतरी	OBC
33	श्री अमित कुमार साहू आ श्री गोपाल राम कारगिल चौक के पास विन्ध्यवासिनी वार्ड धमतरी छ.ग.493773	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC
34	सध्या वघेल आ श्री श्यामचरण वघेल सच्चिपुरम शिवाजी वार्ड मुंगेली, छ.ग. 495334	शासकीय जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा	SC/ UR-F
35	श्री राकेश कुमार साहू आ श्री संतराम साहू ग्राम चुलकटटा पो सेलूद,तह.पाटन जिला-दुर्ग छ.ग. 491107	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC
36	रीना साहू आ.श्री दानीदास साहू नदई चौक वार्ड-39 राजनांदगांव छ.ग. 491441	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	OBC/ UR-F
37	श्री विजय कुमार लहरे आ.श्री राजाराम लहरे,ग्राम पो कुरदा व्हाया चांपा,जिला-जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	SC
38	श्री नासिर अहमद आ. मो.फकीरा शास.कन्या पॉलीटेक्निक धरमपुरा 2 जगदलपुर जिला-बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय गुडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव	OBC
39	श्री डाकेश्वर कुमार वर्मा आ श्री रामवृज वर्मा सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग वि.ई.सी लखनपुर सरगुजा वि.वि.अंबिकापुर छ.ग.497116	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	OBC

57	मोनिता ठाकुर आ श्री पी.आर ठाकुर उत्तर वसुन्धरा नगर आमदारीन भिलाई 3 दुर्ग छ.ग. 490021	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	ST
58	शशिबाला मिन्झो आ श्री पावल मिन्झो,कोसानगर वृद्ध विहार के पास पी.ओ. नेहरू नगर भिलाई जिला दुर्ग छ.ग. 490020	शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	ST
59	श्री जितेन्द्र कुमार स्वर्णपाल आ श्री तीजराम स्वर्णपाल प.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड मेहता नगर भाटापारा जिला बलौदाबाजार छ.ग. 4931118	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	SC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8 नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

नियुक्त अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12 इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

एफ 1–11/2017/38–1
नया रायपुर, दिनांक 20/08/2017

प्रति :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

(6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

(8) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।

(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1034/22/चयन/17/II दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग)।

(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग)।

(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/172/93/स-1/38 [गृह विज्ञान] म0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक गृहविज्ञान के पद पर वेतनमान रू0 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है।

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1.	2.	3.
	गृह प्रबंध	
1.	कु0मेहरून्निसा आत्मजा श्री इन्तिजाम उद्दीन रिटायर्ड ए0डी0एस0 29 कमरी मार्ग गोपाल मंदिर छत्रीचौक उज्जैन	शा0म0हा0खण्डवा।
2.	कु0 कालिका व्यास द्वारा श्री एन0एल0व्यास शनिवरा मोरसली चौक होशंगाबाद	शा0म0हा0[कन्या] छिंदवाड़ा।
3.	कु0नमिता अग्रवाल आत्मजा प्रो0एस0एल0अग्रवाल 39, मोतीलाल नेहरू नगर उज्जैन	शा0कन्या म0हा0 उज्जैन [प्राध्यापक पद के विरू.]
4.	श्रीमती वरजीत कौर[अरोरा शर्मा] 46, सो0जवाहर नगर जफर ग्वालियर।	शा0वि0आर0ए0जी0म0हा0ग्वालियर।
5.	कु0 ज्योति जैन द्वारा श्री धन्नालाल जी जैन जैन होजरी हाउस मैनरोड़ कटनी	शा0कन्या म0हा0कटनी [जबलपुर]।
6.	कु0 रंजू गुप्ता 57 संजय ज्वाला विवेकानंद कालोनी उज्जैन।	शा0आगर मालवा शाजापुर।
7.	कु0 रेखा शर्मा द्वारा श्री देवेन्द्र द्विवेदी नोगरे बिल्डिंग फ्रीगंज उज्जैन।	शा0कन्या म0हा0[नोगांव]।

......2

8. कु0 संध्या सक्सेना — शा0कन्या महा0 रतलाम ।
द्वारा श्री महेन्द्र सक्सेना
सक्सेना एंड संस 92 न्यू रोड
रतलाम ।

9. कु0 संध्या राय — शा0महा0आमरपाटन (सतना) ।
द्वारा श्री परमानंद राय
नारायण गंज होशंगाबाद ।

10. कु0 प्रीति रामकृष्ण मोढ़ — शा0कन्या महा0 मंदसौर ।
द्वारा श्री वसन्त कुमार गुप्ता
49 कसेरी मार्ग गली नं0-2
उज्जैन ।

//बाल विकास//

1. कु0 रेशमा यास्मिन सिद्दीकी — शा0महा0 बलौदा बाजार (रायपुर)
तो0ना0केंप-6 बी मरोदा सेक्टर
भिलाई नगर ।

2. कु0 रश्मि सिन्हा — शा0महा0भिलाई-3 (दुर्ग) ।
(आमाती महा0प्रा0)
द्वारा श्री ए0के0सिन्हा
क्वाटर-3 स सड़क नं0-22
सेक्टर-1 भिलाई ।

4. कु0 पद्मजा धारीकर — शा0कन्या महा0 बीना (सागर) ।
द्वारा श्री का0द0 धारीकर
ई-8 न्यू कालोनी सागर ।

5. कु0 रश्मि जैन — शा0कन्या महा0 टीकमगढ़ ।
(श्रीमती मलैया)
द्वारा श्री शांति कुमार जी मलैया
15/1 मलैया बिल्डिंग कटरा पुलिस
चौकी के पीछे सागर ।

6. कु0 कृष्णा शर्मा — शा0महा0चौरई (छिंदवाड़ा) ।
श्री जे0एल0शर्मा म0-1194
मदन महल प्रेम नगर पो0
जबलपुर ।

7. कु0 दीपाली पाठक — शा0महा0आगर (शाजापुर) ।
आमाती महा0प्रा0
7 आदित्य नारायण का मंदिर
सेंट्रल कोतवाली रोड़ उज्जैन ।

श्रीमती सरोज — शा0महा0धमतरी रायपुर ।
पो 123 म0प्र0 हाउसिंग
बोर्ड कालोनी कोटा रायपुर ।

9.	कु0 मालिक [illegible] 197 बी राजेन्द्र नगर इंदौर ।	शा0स्नातकोत्तर महा0 मंदसौर ।

//पोषण एवं आहार//

1.	श्रीमती रसोदा कावशाला (आचार्य गृह0वि0) 63 फ्लाइंगरोड महू ।	शा0महा0महू (इंदौर)
2.	कु0 अनिता जैन गोल बाजार केसरवानी कालेज के पास जबलपुर ।	शा0कन्या महा0सतना ।
3.	श्रीमती शैलजा जैन (आचार्य गृह0वि0) जे-5 गांधीनगर तानसेन रोड़ ग्वालियर ।	शा0 के0आर0जी0 महा0 ग्वालियर ।
4.	कु0 शैलबाला जैन 11/51 मालवीय रोड रायपुर	शा0महा0वैशाली नगर (दुर्ग) ।
5.	कु0 अनिता भाना सदर बाजार भानपुरा जिला मंदसौर	शा0कन्या महा0धार ।
6.	कु0 अंजना गुप्ता श्री जे0एल0गुप्ता 1193 नेपियर टाऊन जबलपुर ।	शा0महा0(कन्या) दमोह ।
7.	श्रीमती राजलक्ष्मी त्रिपाठी एम0आई0जी0 74 आनंद नगर अधार ताल जबलपुर ।	शा0कन्या महा0 शहडोल ।
8.	श्रीमती नूतन राठौर (आचार्य गृह0वि0) आत्मज श्री विजय राठौड़ क्वा0 एम0आई0 47 विद्युत नगर रायपुर ।	शा0कन्या महा0 टीकमगढ़ ।
9.	श्रीमती चारू कटारे बी0टी0स्कूल रोड़ महाराजा पार्क ग्वालियर-9	शा0कन्या महा0दतिया ।
10.	श्रीमती नमिता जैन द्वारा श्री अनुराग जैन आई0ए0एस0एस0एल0बी0एम निवास खुरई सागर ।	शा0कन्या महा0इन्द्रा रोड (बिलासपुर) ।

....4

//तंतु विभाग//

1.	कु० रत्ना मालवीय (आमाती सह०प्रा०) द्वारा डॉ०आर०बी०मालवीय 1080 हनुमान ताल सिटी कोतवाली के पीछे जबलपुर ।	शास०कन्या गृहविज्ञान होशंगाबाद
2.	कु०स्मिता जैन सी/2 /11 चार इमली भोपाल ।	शास०नवीन कन्या इंदौर । (व्याख्याता के रिक्त पद के विरू.)
3.	कु० रंजना मालवीय (आमाती सह०प्रा०) द्वारा डॉ० आर०बी०मालवीय 1080हनुमान ताल दरहाई चौक जबलपुर ।	शास०कन्या हा० छिंदवाड़ा ।
4.	कु० एन०जननी सह०प्रा०गृहविज्ञान रजापु बीकानेर राजस्थान ।	शास०कन्या महा० रीवा ।
5.	कु० अनिता गुप्ता द्वारा श्री मुकेश दगुप्ता एकमहावीर मार्ग हरी चौक नरोत्तमदोधार ।	शास०कन्या महा० भिण्ड ।
6.	कु० ममता सक्सेना 193 जावरा कम्पाउंड इंदौर ।	शास०कन्या महा०धार ।
7.	श्रीमती रंजु जैन 20 सिंधी कालोनी मुरैना	शास०कन्या महा०.गुना ।
8.	श्रीमती अर्चना जैन बी-91 गोविंदपुरा भोपाल ।	शास०कन्या महा० छतरपुर ।
9.	श्रीमती भावना शर्मा (आमाती सह०प्रा०) टी-39 हाथीताल कालोनी जबलपुर ।	शास०महा०ब्योहारी (शहडोल) ।
10.	श्रीमती रंजना उपाध्याय द्वारा बी०सी०पाराशर डीन वेटनरी कालेज रसलपुर म्हू	शास०कन्या महा० नीमच ।

2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर रहेगी ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर अथवा चरित्र सत्यापन समाधान कारक नहीं पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी ।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

5/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं ~~म०प्र० शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा)~~ भर्ती नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगे ।

7/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिया जायेगा ।

8/ यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना कोई कारण बतायें एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी इसी प्रकार अधिकारी द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग-पत्र दिया जा सकेगा ।

9/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 28 अक्टूबर, 93 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा । शासकीय अर्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 30.9.93

(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
म०प्र०शासन उच्च शिक्षा विभाग

...6

(৬)

// 6 //

पृ०क्र० एफ-1/172/93/ए-1/38 (संलग्नक) भोपाल, दिनांक [illegible] 93

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग इंदौर को ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० भोपाल ।
3. महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर ।
4. निज सचिव, सलाहकार (एम०एन)
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म०प्र० ।
6. संबंधित प्राचार्य, शा० महा० म०प्र० ।
7. संबंधित गण ।

उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी।.....

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 97

क्रमांक एफ–1/172/95/स–1/38 (गृह विज्ञान)–लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक गृहविज्ञान के पद पर वेतनमान रु0 2200–75–2800–100–4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है ।
1.	2.	3.

//अनुसूचित जाति//

// बाल विकास//

1.	शोभा जामनिक (आयातो सहा0प्रा0) द्वारा जे0एल0ए0जामनिक भूतपूर्व विधायक अधिवक्ता शिव शक्ति भवन अंबिकापुर ।	शा0स्नातकोत्तर महा0(कन्या) बिलासपुर ।
2.	कु0 रेखा जामनिक द्वारा श्री जे0एल0जामनिक अधिवक्ता भूतपूर्व विधायक शिव शक्ति भवन अंबिकापुर ।	शा0नवीन कन्या महा0 बिलासपुर ।

//भोजन एवं आहार//

//अनुसूचित जनजाति//

3.	श्रीमती रीता लकरा द्वारा श्री जे0हरिचंद डाक बंगला वार्ड धमतरी जिला रायपुर ।	शा0कन्या महा0धमतरी । (प्राध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध)

//वस्त्र विज्ञान//

1.	कु0 क्लेमेन्टीन टोप्पो द्वारा श्री फिरदाइस खेरस कैम्पियन स्कूल प्रायवेट सेक्टर सेक्टर ई–16 भोपाल ।	शा0महा0अर्जुन्दा (दुर्ग) ।

2/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा ।

5/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को दिनांक 29 अक्टूबर, 93 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा । शासकीय अर्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

30-9-93

(हीरालाल त्रिवेदी)
उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्र० एफ-1/172/93/स-1/38 (गृह विज्ञान) भोपाल, दिनांक 30 सितंबर, 93

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० भोपाल ।
3. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर ।
4. निज सचिव, सलाहकार (एम०एन०) ।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म०प्र० ।
6. संबंधित प्राचार्य, शा०म०हा० म०प्र० ।
7. संबंधित गण ।

उप सचिव,
म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी/.....